शेयरधारक समझौता

द्वारा एवं के बीच

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

और

दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड

और

जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

और

जीएमआर एनर्जी लिमिटेड

और

जीवीएल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड

और

फ्रैपोर्ट एजी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज वर्ल्डवाइड

और

मलेशिया एयरपोर्ट्स (मॉरीशस) प्राइवेट लिमिटेड

और

इंडिया डेवलपमेंट फंड

विषय-सूची

खंड 1 परिभाषा एवं व्याख्या (पृष्ठ 4)

खंड 2 एसएचए प्रभावी तिथि (पृष्ठ 9)

खंड 3 पूंजी संरचना (पृष्ठ 9)

खंड 4 जेवीसी का दायरा और उद्देश्य: व्यावसायिक योजना (पृष्ठ 15)

खंड 5 प्रबंधन और निदेशक मंडल (पृष्ठ 16)

खंड 6 शेयरधारकों के अधिकार और दायित्व (पृष्ठ 21)

खंड 7 समाप्ति (पृष्ठ 24)

खंड 8 गोपनीयता (पृष्ठ 26)

खंड 9 विविध (पृष्ठ 28)

अनुसूची 1 निजी प्रतिभागी (पृष्ठ 36)

अनुसूची 2 इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य निकालने के व्यापक सिद्धांत (पृष्ठ 37)

अनुसूची 3 आरक्षित बोर्ड मामले (पृष्ठ 38)

अनुसूची 4 आरक्षित शेयरधारक मामले (पृष्ठ 39)

अनुलग्नक 1 अनुपालन विलेख (पृष्ठ 40)

शेयरधारक समझौता

यह शेयरधारक समझौता आज 4 अप्रैल, 2006 को संपादित किया गया है,

द्वारा एवं के बीच:

1. **भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण** (जिसे इसके बाद "एएआई" कहा गया है) (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल या विपरीत न हो, इसके नामनिर्दिष्टों (नॉमिनीज़), कानूनी प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों को शामिल माना जाएगा) एक पक्ष;
2. **इसकी अनुसूची 1 में सूचीबद्ध पक्ष** (जिन्हें इसके बाद व्यक्तिगत रूप से "निजी प्रतिभागी" और सामूहिक रूप से "निजी प्रतिभागियों" के रूप में संदर्भित किया गया है) (जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल या विपरीत न हो, उनके संबंधित नामनिर्दिष्टों (नॉमिनीज़), कानूनी प्रतिनिधियों और उत्तराधिकारियों को शामिल माना जाएगा) दूसरा पक्ष;

तथा

3. **दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड**, जिसका पंजीकृत कार्यालय आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली में स्थित है (जिसे इसके बाद "कंपनी" या "जेवीसी" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में, जब तक कि यह विषय या संदर्भ के प्रतिकूल या विपरीत न हो, इसके कानूनी प्रतिनिधियों, उत्तराधिकारियों और अनुमत समनुदेशितियों को शामिल माना जाएगा) तीसरा पक्ष।

निजी प्रतिभागियों और एएआई (किसी भी एएआई नामनिर्दिष्टों के साथ) को इसके बाद सामूहिक रूप से "**शेयरधारकों**" और व्यक्तिगत रूप से "**शेयरधारक**" के रूप में संदर्भित किया गया है।

सभी शेयरधारकों और जेवीसी को इसके बाद सामूहिक रूप से "**पक्षों**" और व्यक्तिगत रूप से "**पक्ष**" के रूप में संदर्भित किया गया है।

जबकि:

क. एएआई भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 1994 के तहत स्थापित एक प्राधिकरण है और अन्य बातों के साथ-साथ, भारत में हवाई अड्डों के विकास, प्रचालन और रखरखाव के लिए जिम्मेदार है।

ख. एएआई ने परियोजना (इसके बाद परिभाषित) को हाथ में लेने के लिए सक्षम और इच्छुक व्यक्तियों के चयन हेतु इच्छुक पक्षों से प्रस्ताव आमंत्रित करते हुए दिनांक 17 फरवरी, 2004 को एक विज्ञापन जारी किया था।

ग. निजी प्रतिभागी एक कॉन्सोर्टियम के सदस्य हैं, जिसने बोली लगाई थी, तत्पश्चात उन्हें सूचीबद्ध किया गया था और अंततः परियोजना को हाथ में लेने के लिए संयुक्त उद्यम भागीदारों के रूप में एएआई द्वारा (भारत सरकार के अनुमोदन से) चुना गया था।

घ. एएआई और जेवीसी ने ओएमडीए (इसके बाद परिभाषित) निष्पादित किया है, जिसके अनुसार एएआई ने अन्य बातों के साथ-साथ, जेवीसी को अधिकार प्रदान किए हैं, और जेवीसी ने उसमें निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार परियोजना को हाथ में लेने का अधिकार स्वीकार कर लिया है।

ड. यह शेयरधारक, इस समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार, जेवीसी के ऐसे इक्विटी शेयरों को अभिदान (सब्सक्राइब) करेंगे ताकि उसके तुरंत बाद इक्विटी पूंजी को इस प्रकार की रीति और मात्रा में धारित किया जाए, तथा वह ऐसे अधिकारों और प्रतिबंधों, शक्तियों और दायित्वों के अधीन हो जैसा कि इसके तहत प्रदान किया गया है;

च. इसके शेयरधारक, आपस में, जेवीसी के शेयरधारकों के रूप में अपनी पारस्परिक क्षमता में संबंधों को शासित करने वाले नियमों और शर्तों को निर्धारित और दर्ज करने का इरादा रखते हैं तथा जेवीसी के प्रबंधन और कामकाज के संबंध में अपने संबंधित अधिकारों और दायित्वों तथा उससे जुड़े अन्य मामलों को दर्ज करने का इरादा रखते हैं।

अब, इसलिए, उपर्युक्त विवरणों, पक्षों की पारस्परिक प्रसंविदाओं, और अन्य अच्छे एवं मूल्यवान प्रतिफल के एवज में, जिसकी प्राप्ति और पर्याप्तता को एतद्द्वारा स्वीकार किया जाता है, पक्ष निम्नानुसार सहमत होते हैं:

खंड 1

परिभाषा एवं विवेचन

1.1 इस शेयरधारक समझौते में (जिसमें इसके साथ संलग्न कोई भी विवरण, अनुलग्नक, अनुसूचियाँ या प्रदर्श शामिल हैं), जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों का निम्नलिखित अर्थ होगा:

"**एएआई नामनिर्दिष्ट (एएआई नॉमिनी)**" का अर्थ एएआई द्वारा नामित कोई भी भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होगा;

"**एएआई व्यतिक्रम क्रय अवधि (एएआई डिफॉल्ट परचेज पीरियड)**" का अर्थ इसके खंड 7.2(घ) में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**एएआई प्रस्ताव सूचना**" का अर्थ इसके खंड 3.7.2(i) में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**एएआई प्रस्ताव मूल्य**" का अर्थ इसके खंड 3.7.2(i) में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**एएआई क्रय अवधि**" का अर्थ इसके खंड 3.7.2(ii) में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**एएआई क्रय शेयर**" का अर्थ इसके खंड 3.7.2(i) में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**स्थगित बैठक**" का अर्थ इसके खंड 5.11.2 में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**प्रभावित पक्ष**" का अर्थ इसके खंड 9.3.1 में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**वैकल्पिक निदेशक**" का अर्थ इसके खंड 5.7.1 में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**निदेशक मंडल**" या "**बोर्ड**" का अर्थ संयुक्त उद्यम कंपनी का निदेशक मंडल होगा;

"**अध्यक्ष**" का अर्थ संयुक्त उद्यम कंपनी का अध्यक्ष होगा;

"**शासी दस्तावेज**" का अर्थ कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, इस समझौते के नियमों और शर्तों के साथ उचित और सुसंगत रूप से शामिल संयुक्त उद्यम कंपनी का ज्ञापन और अंतरनियम होगा;

"**दावेदार**" का अर्थ इसके खंड 9.4.3.1 में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**कंपनी अधिनियम**" का अर्थ कंपनी अधिनियम, 1956 होगा;

"**परिणामी हानि**" का अर्थ इसके खंड 9.17.1 में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**अनुपालन विलेख**" का अर्थ इसके खंड 3.6.1(ख) में निर्दिष्ट अर्थ होगा;

"**व्यतिक्रमी पक्ष**" का अर्थ इसके खंड 7.2(क) में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**व्यतिक्रमी शेयरधारक**" का अर्थ इसके खंड 3.5 में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**निदेशक**" का अर्थ संयुक्त उद्यम कंपनी के निदेशक मंडल का निदेशक होगा;

"**इक्विटी शेयर**" का अर्थ संयुक्त उद्यम कंपनी के इक्विटी शेयर होंगे;

"**उचित बाजार मूल्य**" का अर्थ इसकी अनुसूची 2 के अनुसार निर्धारित संयुक्त उद्यम कंपनी के इक्विटी शेयरों का मूल्य होगा;

"**विदेशी एयरलाइनों** का अर्थ ऐसी विदेशी संस्था से है जो हवाई परिवहन सेवाएं प्रदान करती है;

"**विदेशी संस्था**" का अर्थ भारतीय संस्था के अलावा किसी भी अन्य संस्था से है;

"**विदेशी संस्थाएं इक्विटी सीमा**" का अर्थ यह होगा कि कुल विदेशी शेयरधारिता संयुक्त उद्यम कंपनी की कुल जारी और भुगतान की गई पूंजी के उंचास (49) प्रतिशत से अधिक नहीं होगी;

"**विदेशी शेयरधारिता**" का अर्थ निम्नलिखित के कुल योग से होगा:

(क) सभी विदेशी संस्थाओं की प्रत्यक्ष शेयरधारिता का योग; और

(ख) भारतीय संस्थाओं की संयुक्त उद्यम कंपनी में "**लाभकारी विदेशी स्वामित्व**" का योग। ऐसे लाभकारी विदेशी स्वामित्व का अर्थ भारतीय संस्था में विदेशी संस्था की शेयरधारिता को संयुक्त उद्यम कंपनी में भारतीय संस्था की शेयरधारिता से गुणा करना होगा, जिसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाएगा; और जहाँ विदेशी संस्था एक या अधिक संस्थाओं के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से किसी भारतीय संस्था (जो संयुक्त उद्यम कंपनी में शेयर रखती है) में शेयर रखती है, तो लाभकारी स्वामित्व का अर्थ उस संस्था में विदेशी संस्था की शेयरधारिता को संयुक्त उद्यम कंपनी में शेयर रखने वाली भारतीय संस्था में उस संस्था की शेयरधारिता से गुणा करना (और इसी तरह आगे) तथा उसे संयुक्त उद्यम कंपनी में भारतीय संस्था (जो संयुक्त उद्यम कंपनी में शेयर रखती है) की शेयरधारिता से गुणा करना होगा, जिसे प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाएगा। हालाँकि शर्त यह है कि यदि भारतीय संस्था एक सार्वजनिक सूचीबद्ध कंपनी है, तो विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा धारित ऐसी भारतीय संस्था के किसी भी शेयर को उपर्युक्त दर्शाएं अनुसार लाभकारी विदेशी स्वामित्व का निर्धारण करने के उद्देश्यों के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।

उदाहरण के रूप में:

यदि कोई विदेशी संस्था किसी भारतीय संस्था में 60% शेयर रखती है जो संयुक्त उद्यम कंपनी में 30% शेयर रखती है, तो संयुक्त उद्यम कंपनी में ऐसी विदेशी संस्था का लाभकारी स्वामित्व में शामिल है:

0.60 * 0.30 = 0.18 * 100 = 18%

यदि कोई विदेशी संस्था ख (एक भारतीय संस्था) में 60% शेयर रखती है जो दूसरी भारतीय संस्था में 80% शेयर रखती है जो संयुक्त उद्यम कंपनी में 30% शेयर रखती है, तो संयुक्त उद्यम कंपनी में ऐसी विदेशी संस्था का लाभकारी स्वामित्व है:

0.60 * 0.80 * 0.30 = 0.144 * 100 = 14.4%।

"**भारत सरकार**" का अर्थ भारत की केंद्र सरकार और उसका कोई भी मंत्रालय, विभाग या तंत्र होगा;

"**भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम**" का अर्थ ऐसी किसी भी कंपनी से होगा जिसमें भुगतान किया हुआ शेयर पूंजी का कम से कम इक्यावन (51) प्रतिशत भारत सरकार द्वारा धारित हो, और इसमें ऐसी कंपनी शामिल है जो इस प्रकार परिभाषित भारत सरकार सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम की सहायक कंपनी है;

"**समूह संस्थाएं**" किसी निर्दिष्ट संस्था के संबंध में, ऐसी निर्दिष्ट संस्था को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित करने वाली, उसके द्वारा नियंत्रित या उसके साथ समान नियंत्रण के अधीन किसी भी अन्य संस्था को शामिल करती है; हालाँकि, बशर्ते कि इस परिभाषा के उद्देश्यों के लिए, "**नियंत्रित करने वाली**", "**के द्वारा नियंत्रित**" या "**के साथ समान नियंत्रण के अधीन**" शब्दों का अर्थ किसी संस्था के प्रबंधन और नीतियों को निर्देशित करने या उनका निर्देशन करने की शक्ति का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होना है, चाहे वोटिंग प्रतिभूतियों के स्वामित्व के माध्यम से, अनुबंध द्वारा या अन्यथा, या ऐसी संस्था के संबंध में समान अधिकार का प्रयोग करने वाले कम से कम 50% निदेशकों, प्रबंधकों, भागीदारों या अन्य व्यक्तियों को चुनने या नियुक्त करने की शक्ति हो।

"**प्रारंभिक अभिदान**" का अर्थ इसके खंड 3.2 में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**आईटीआरईओआई**" का अर्थ दिनांक 17 फरवरी, 2004 को एएआई द्वारा जारी 'रुचि की अभिव्यक्ति पंजीकृत करने का निमंत्रण' दस्तावेज से है;

"**प्रबंध निदेशक**" का अर्थ संयुक्त उद्यम कंपनी के पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक से है;

"**गैर-व्यतिक्रमी पक्ष**" का अर्थ इसके खंड 7.2(क) में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**ओएमडीए**" का अर्थ एएआई और संयुक्त उद्यम कंपनी के बीच इसकी तिथि के आसपास निष्पादित संचालन, प्रबंधन और विकास समझौते से है;

"**विकल्प**" का अर्थ इसके खंड 3.3.3.1 में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**मूल निदेशक**" का अर्थ इसके खंड 5.7.1 में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**पीपी व्यतिक्रम क्रय अवधि**" का अर्थ इसके खंड 7.2(ग) में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**पीपी प्रस्ताव सूचना**" का अर्थ इसके खंड 3.7.1(i) में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**पीपी प्रस्ताव मूल्य**" का अर्थ इसके खंड 3.7.1(i) में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**पीपी क्रय शेयर**" का अर्थ इसके खंड 3.7.1(i) में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**निजी प्रतिभागी**" का अर्थ इस समझौते की प्रस्तावना में इसे दिया गया अर्थ होगा;

"**निजी प्रतिभागी समझौता**" का अर्थ इसके खंड 4.2.4 में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**परियोजना**" का अर्थ इसके खंड 4.1.1 के तहत इसे दिया गया अर्थ होगा।

"**स्वामित्व वाली सूचना**" का अर्थ इसके खंड 8.1 के तहत इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**शेष पीपी क्रय अवधि**" का अर्थ इसके खंड 3.7.1(iii) में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**शेष निजी प्रतिभागी**" का अर्थ इसके खंड 3.7.1(i) में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**आरक्षित बोर्ड मामले**" का अर्थ इसकी अनुसूची 3 के तहत सूचीबद्ध मामलों से है;

"**आरक्षित शेयरधारक मामले**" का अर्थ इसकी अनुसूची 4 के तहत सूचीबद्ध मामलों से है;

"**उत्तरदाता**" का अर्थ इसके खंड 9.4.3.1 में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**आरएफपी**" का अर्थ दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को एएआई द्वारा जारी 'प्रस्ताव के लिए अनुरोध' दस्तावेज से है;

"**रुपया (रुपये)**" या "**रु.**" का अर्थ भारतीय रुपया (रुपये) है;

"**अनुसूचित एयरलाइनों**" का अर्थ उन एयरलाइनों से है जो विमान नियम, 1937 के तहत परिभाषित "अनुसूचित हवाई परिवहन सेवा" का संचालन करती हैं;

"**अनुसूचित एयरलाइनों की इक्विटी सीमा**" का अर्थ अनुसूचित एयरलाइनों और उनकी संबंधित समूह संस्थाओं (ऐसी समूह संस्थाओं को छोड़कर जो आईटीआरईओआई और आरएफपी जारी करने की तिथि पर हवाई अड्डा प्रचालक थीं) द्वारा सामूहिक रूप से धारित संयुक्त उद्यम कंपनी की कुल जारी और भुगतान किए गए शेयर पूंजी में अधिकतम दस (10) प्रतिशत की इक्विटी हिस्सेदारी होगी;

"**विक्रेता पीपी**" का अर्थ इसके खंड 3.7.1 में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**द्वितीय पीपी प्रस्ताव सूचना**" का अर्थ इसके खंड 3.7.1(iv) में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**द्वितीय पीपी क्रय अवधि**" का अर्थ इसके खंड 3.7.1(vi) में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**शेयरधारक**" या "**शेयरधारकों**" का अर्थ इस समझौते की प्रस्तावना में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**शेयरधारक समझौता**" या "**समझौता**" का अर्थ इस शेयरधारक समझौते से है;

"**एसएचए प्रभावी तिथि**" का अर्थ उस तिथि से है जिस दिन इसके खंड 2.1 में निर्धारित पूर्ववर्ती शर्तें पूरी होती हैं;

"**एसपीवी पीपी**" का अर्थ इसके खंड 3.6.1 में इस शब्द को दिया गया अर्थ होगा;

"**तीसरा पक्ष**" का अर्थ ऐसी किसी भी संस्था से है जो इस समझौते का पक्ष नहीं है;

"**अंतरण**" में शामिल होंगे (i) लागू कानून के संचालन द्वारा, अदालत के आदेश द्वारा, न्यायिक प्रक्रिया द्वारा, या जब्ती, लेवी या कुर्की द्वारा, बिना किसी सीमा के, ऐसी प्रतिभूतियों या वोटिंग हितों या उसमें किसी भी हित का कोई भी अंतरण या अन्य व्ययन; (ii) किसी समझौते, व्यवस्था, दस्तावेज या समझ के अनुसार ऐसी प्रतिभूतियों या उसमें किसी भी हित की कोई बिक्री, समनुदेशन, उपहार, दान, मोचन, परिवर्तन या अन्य व्ययन, जिसके द्वारा ऐसी प्रतिभूतियों का कानूनी शीर्षक या लाभकारी स्वामित्व या उसमें कोई भी हित एक संस्था से दूसरी संस्था में या एक ही संस्था को एक अलग कानूनी क्षमता में स्थानांतरित होता है, चाहे वह मूल्य के लिए हो या न हो; (iii) ऐसी प्रतिभूतियों या उसमें किसी भी हित में या उससे जुड़े किसी भी प्रभार या दायित्व को प्रदान करना;

"**ट्रिगर ऋण इक्विटी अनुपात**" का अर्थ कम से कम दो (2) से एक (1) का ऋण से इक्विटी अनुपात है;

यहाँ उपयोग किए गए (और यहाँ परिभाषित नहीं किए गए) लेकिन ओएमडीए के तहत परिभाषित अन्य बड़े अक्षरों वाले शब्दों का अर्थ ओएमडीए के तहत उस शब्द को दिया गया अर्थ होगा।

1.2 इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, ओएमडीए के खंड 1.2 में उल्लिखित निर्वचन नियम लागू होंगे।

खंड 2

एसएचए प्रभावी तिथि

2.1 यह समझौता लागू और प्रभावी होगा तथा पक्षों पर (i) इस समझौते के निष्पादन की तिथि; या (ii) उसमें संबंधित पक्षों द्वारा ओएमडीए के निष्पादन की तिथि, जो भी बाद में हो, से बाध्यकारी होगा ("एसएचए प्रभावी तिथि")

खंड 3

पूंजी संरचना

3.1 संयुक्त उद्यम कंपनी की अधिकृत शेयर पूंजी रु. 250,00,00,000 (केवल दो सौ पचास करोड़ रुपये) होगी।

3.2 शेयरधारक एसएचए प्रभावी तिथि से 14 दिनों के भीतर संयुक्त उद्यम कंपनी के इतने इक्विटी शेयरों का अभिदान करने के लिए एतद्द्वारा सहमत होते हैं, जो नीचे दिए गए तरीके से जारी शेयर पूंजी रु. 200,00,00,000 (केवल दो सौ करोड़ रुपये) ("**प्रारंभिक अभिदान**") को कानूनी और लाभकारी रूप से स्वामित्व और धारित करने के लिए आवश्यक हैं:

शेयरधारक	**शेयरों की संख्या**	**प्रतिशत हिस्सेदारी**
एएआई (एएआई नामनिर्दिष्टों के साथ)	**5,20,00,000**	**26.00%**
निजी प्रतिभागी:		
(1) जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	6,22,00,000	31.10%
(2) जीएमआर एनर्जी लिमिटेड	2,00,00,000	10.00%
(3) जीवीएल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	1,80,00,000	9.00%
(4) फ्रैपोर्ट एजी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज वर्ल्डवाइड	2,00,00,000	10.00%
(5) मलेशिया एयरपोर्ट्स (मॉरीशस) प्राइवेट लिमिटेड	2,00,00,000	10.00%
(6) इंडिया डेवलपमेंट फंड	78,00,000	3.90%

शेयरधारक	शेयरों की संख्या	प्रतिशत हिस्सेदारी
उप-कुल	**14,80,00,000**	**74.00%**
कुल	**20,00,00,000**	**100.00%**

यह पक्ष एतद्द्वारा यह वचन देते हैं और सहमत होते हैं कि संयुक्त उद्यम कंपनी प्रारंभिक अभिदान के तुरंत बाद, लेकिन 21 दिनों से बाद नहीं, एएआई को निगमकरण लागत (जिसमें एएआई द्वारा भुगतान किए गए कानूनी व्यय या पंजीकरण शुल्क शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) की प्रतिपूर्ति करेगी, जो संयुक्त उद्यम कंपनी के निगमकरण के लिए या उससे संबंधित एएआई द्वारा उठाई गई हैं, उस सीमा तक जहाँ तक संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा पहले प्रतिपूर्ति न की गई हो।

3.3 नकद मांग और भावी पूंजीकरण

3.3.1 इसके उपर्युक्त खंड 3.2 में निर्धारित प्रारंभिक अभिदान के अधीन, संयुक्त उद्यम कंपनी, अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, समय-समय पर अपनी अधिकृत और/या भुगतान की गई पूंजी में वृद्धि कर सकती है। हालाँकि शर्त यह है कि, संयुक्त उद्यम कंपनी इक्विटी शेयरों का कोई भी नया निर्गमन करने से पहले यह सुनिश्चित करेगी कि ट्रिगर ऋण इक्विटी अनुपात बनाए रखा जाए। यदि ट्रिगर ऋण इक्विटी अनुपात इस प्रकार बनाए नहीं रखा जाता है, तो संयुक्त उद्यम कंपनी तब तक कोई नया इक्विटी शेयर जारी नहीं करेगी जब तक कि ट्रिगर ऋण इक्विटी अनुपात लागू न हो जाए। इस उद्देश्य के लिए, निजी प्रतिभागी (एएआई (एएआई नामनिर्दिष्टों के साथ) की इक्विटी शेयरधारिता को कम किए बिना) एतद्द्वारा ऐसे रूप और मात्रा में धनराशि डालने का संकल्प लेते हैं और सहमत होते हैं जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि इक्विटी शेयरों के किसी भी नए निर्गमन के समय से ठीक पहले ट्रिगर ऋण इक्विटी अनुपात बनाए रखा जाए। इस खंड 3.3.1 में इसके विपरीत किसी भी बात के होने के बावजूद, जहाँ कोई वित्तपोषण दस्तावेज यह निर्धारित करते हैं कि ऋण के किसी भी आहरण (draw-down) से पहले संयुक्त उद्यम कंपनी में इक्विटी पूंजी डाली जाए, वहाँ संयुक्त उद्यम कंपनी, आवश्यक सीमा तक, अपने शेयरधारकों से ऐसी नकद मांग कर सकती है या ऐसे नए इक्विटी शेयर जारी कर सकती है, ताकि ऐसे वित्तपोषण दस्तावेजों की आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

3.3.2 उपर्युक्त खंड 3.3.1 की आवश्यकताओं का अनुपालन करने वाली संयुक्त उद्यम कंपनी के अधीन, निजी प्रतिभागी एतद्द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी में अपनी संबंधित

शेयरधारिता के अनुसार आनुपातिक रूप से या ऐसे अन्य अनुपातों में जैसा कि आपस में सहमति हो, उतने इक्विटी शेयरों का अभिदान करने का वचन देते हैं और सहमत होते हैं, जितने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा कहा जाए, बशर्ते ऐसे अनुपात विदेशी संस्थाएं इक्विटी सीमा और अनुसूचित एयरलाइनों की इक्विटी सीमा का अनुपालन करते हों।

3.3.3 एएआई का विकल्प

3.3.3.1 यह पक्ष एतद्द्वारा आगे स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि, प्रारंभिक अभिदान के बाद, एएआई (एएआई नामनिर्दिष्टों के साथ) के पास संयुक्त उद्यम कंपनी के किसी भी बाद के पूंजीकरण में, संयुक्त उद्यम कंपनी में अपनी तत्कालीन शेयरधारिता के आनुपातिक, उतने इक्विटी शेयरों का अभिदान करने का अधिकार होगा, लेकिन दायित्व नहीं होगा ("**विकल्प**")। पक्षों के बीच एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार और सहमति व्यक्त की जाती है कि जिस सीमा तक कोई एएआई नामनिर्दिष्ट संयुक्त उद्यम कंपनी के किसी भावी पूंजीकरण में किसी भी इक्विटी शेयर का अभिदान नहीं करता है (चाहे पूरी तरह से या आंशिक रूप से), जिसका अभिदान करने का वह अन्यथा हकदार है, एएआई (या इस संबंध में एएआई द्वारा नामित कोई अन्य एएआई नामनिर्दिष्ट) के पास उतने इक्विटी शेयरों का अभिदान करने का अधिकार होगा (चाहे पूरी तरह से या आंशिक रूप से), लेकिन दायित्व नहीं होगा, जितने का अभिदान करने के लिए एएआई नामनिर्दिष्ट हकदार था लेकिन उसने संयुक्त उद्यम कंपनी के ऐसे भावी पूंजीकरण में अभिदान नहीं किया।

3.3.3.2 यदि एएआई (एएआई नामनिर्दिष्टों के साथ) निर्धारित समय के भीतर ऐसे विकल्प

का प्रयोग करने के अपने निर्णय के बारे में संयुक्त उद्यम कंपनी को सूचित नहीं करता है, तो एएआई को अपने विकल्प का प्रयोग न करने वाला माना जाएगा और तदनुसार वह संयुक्त उद्यम कंपनी के अतिरिक्त पूंजीकरण में किसी भी इक्विटी शेयर का अभिदान करने के लिए बाध्य नहीं होगा।

3.3.3.3 जिस सीमा तक एएआई (एएआई नामनिर्दिष्टों के साथ) अपने विकल्प का प्रयोग न करने का चयन करता है या माना जाता है, संयुक्त उद्यम कंपनी में उनकी तत्कालीन आपस की संबंधित शेयरधारिता के अनुसार आनुपातिक रूप से या निजी प्रतिभागियों के बीच परस्पर सहमत ऐसे अन्य अनुपात में, पूर्वोक्त इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करना निजी प्रतिभागियों का दायित्व होगा, बशर्ते ऐसे अनुपात विदेशी संस्थाएं इक्विटी सीमा और अनुसूचित एयरलाइनों इक्विटी सीमा का अनुपालन करते हों। हालाँकि शर्त यह है कि पक्ष एतद्द्वारा सहमत होते हैं कि निजी प्रतिभागियों को ऐसे इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए उचित समय प्रदान किया जाएगा।

3.3.3.4 ये पक्ष आगे सहमत होते हैं कि, जिस सीमा तक एएआई (एएआई नामनिर्दिष्टों के साथ) इसके ऊपर खंड 3.3.3.1 के अनुसार अपने विकल्प का प्रयोग करने का चयन करता है (चाहे पूरी तरह से या आंशिक रूप से), लेकिन किसी भी कारण से, निर्धारित समय के भीतर संयुक्त उद्यम कंपनी के इक्विटी शेयरों के अपने हिस्से का अभिदान करने में विफल रहता है, तो यह माना जाएगा कि एएआई (एएआई

नामनिर्दिष्टों के साथ) ने अपने विकल्प का प्रयोग नहीं किया है और खंड 3.3.3.3 के प्रावधान तदनुसार लागू होंगे।

3.4 संयुक्त उद्यम कंपनी के इक्विटी शेयरों में, जब तक कि इस समझौते के तहत अन्यथा प्रदान न किया गया हो, लाभांश और मताधिकार के संबंध में समान अधिकार और विशेषाधिकार होंगे।

3.5 यदि, किसी भी कारण से, कोई भी शेयरधारक (एएआई और/या एएआई नामांकित व्यक्तियों के अलावा) ऊपर दिए गए तरीके और प्रभाव से जेवीसी को पूंजीकृत करने के अपने दायित्व को पूरा करने में असमर्थ हैं ("**व्यतिक्रमी** शेयरधारक") ऐसे पूंजीकरण की नियत तारीख तक, तो चूक करने वाले शेयरधारक को तत्कालीन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्राइम लेंडिंग रेट के ब्याज के साथ-साथ अतिरिक्त दस (10) प्रतिशत प्रति वर्ष उपरोक्त नियत तारीख से व्यतिक्रमी शेयरधारक द्वारा ऐसी व्यतिक्रमी में सुधार (पूर्ण रूप से) की तारीख तक का भुगतान करना होगा। यदि चूककर्ता शेयरधारक अपने पूंजीकरण दायित्व को, ऐसे पूंजीकरण की नियत तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर (या ऐसी अन्य तारीख जो पार्टियों के बीच पारस्परिक रूप से सहमत हो सकती है) पूरा नहीं करता है, तो इस समझौते के तहत चूककर्ता शेयरधारक के सभी अधिकार, बोर्ड पर उनके अधिकारों सहित, व्यतिक्रमी शेयरधारक द्वारा डिफ़ॉल्ट के सुधार तक निलंबित रहेंगे। इस तरह की चूक को इस समझौते के प्रयोजनों के लिए एक भौतिक उल्लंघन (लेकिन एकमात्र भौतिक उल्लंघन नहीं) माना जाएगा, और यदि ऐसे भौतिक उल्लंघन को डिफ़ॉल्टिंग शेयरधारक द्वारा उल्लंघन नोटिस जारी होने से तीस (30) दिनों के भीतर (खंड 7.2 (ख) के अनुसार) दूर नहीं किया जाता है, तो यह समझौता खंड 7.2 के अनुसार डिफ़ॉल्टिंग शेयरधारक के संबंध में समाप्त किया जा सकता है।

इस संबंध में, पक्ष स्पष्ट रूप से वचन देते हैं और सहमत होते हैं कि यदि व्यतिक्रमी पक्ष की संपूर्ण शेयरधारिता खंड 7.2 के प्रावधानों के अनुसार किसी गैर-व्यतिक्रमी निजी प्रतिभागी (या उनके स्वीकृत नामनिर्दिष्टों) द्वारा खरीदी जाती है, तो गैर-व्यतिक्रमी निजी प्रतिभागी (या उनके स्वीकृत नामनिर्दिष्ट) खंड 7.2 के प्रावधानों के अनुसार व्यतिक्रमी शेयरधारक से गैर-व्यतिक्रमी निजी प्रतिभागियों (या उनके स्वीकृत नामनिर्दिष्टों) द्वारा खरीदे गए इक्विटी शेयरों की संख्या के अनुसार आनुपातिक रूप से या गैर-व्यतिक्रमी निजी प्रतिभागियों के बीच परस्पर सहमत ऐसे अन्य अनुपातों में, व्यतिक्रमी शेयरधारक के व्यतिक्रम को सुधारने के लिए आवश्यक संयुक्त उद्यम कंपनी के ऐसे अतिरिक्त इक्विटी शेयरों का अभिदान करने के लिए बाध्य होंगे, बशर्ते ऐसे अनुपात विदेशी संस्थाएं इक्विटी सीमा और अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा इक्विटी सीमा का अनुपालन करते हों।

3.6 अंतरण प्रतिबंध

3.6.1 कोई भी शेयरधारक, इस समझौते और ओएमडीए के प्रावधानों के अधीन, तथा लागू कानून के अनुपालन में, किसी तीसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने सभी या किसी भी इक्विटी शेयर को अंतरित कर सकता है, बशर्ते कि:

(क) शेयरधारक इस समझौते के व्यतिक्रम में न हो;

(ख) तीसरा पक्ष क्रेता इस समझौते के नियमों और शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत होता है और वचन देता है तथा अनुलग्नक 1 में संलग्न प्रपत्र और तरीके से अनुपालन विलेख निष्पादित करता है ("**अनुपालन विलेख**")।

(ग) यदि शेयरधारक निजी प्रतिभागी है, तो एएआई की सहमति (ओएमडीए के प्रावधानों के तहत यथा आवश्यक) प्राप्त की जाती है।

(घ) ऐसे अंतरण के परिणामस्वरूप विदेशी संस्थाएं इक्विटी सीमा और/या अनुसूचित एयरलाइनों की इक्विटी सीमा से अधिक न हो।

(ड.) राजनीतिक संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार खरीदार और उसके गठन को मंजूरी देती है।

पर्याप्त सावधानी के लिए, एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है कि जहाँ निजी प्रतिभागी मुख्य रूप से संयुक्त उद्यम कंपनी में इक्विटी शेयर रखने के उद्देश्यों के लिए स्थापित एक विशेष उद्देश्य वाहन है (ऐसा निजी प्रतिभागी एक "**एसपीवी पीपी**" होने के नाते), ऐसे एसपीवी पीपी में किसी भी शेयरधारिता का अंतरण इस समझौते के प्रयोजनों के लिए एसपीवी पीपी द्वारा इक्विटी शेयरों का अप्रत्यक्ष अंतरण माना जाएगा और इस समझौते में निर्धारित शेयरों के अंतरण पर प्रतिबंधों के अधीन होगा।

3.7 प्रथम असम्मति का अधिकार

3.7.1 खंड 3.6 में निर्धारित आवश्यकताओं के अतिरिक्त और ओएमडीए के खंड 2.5 के तहत निर्धारित लॉक-इन प्रावधानों के हमेशा अधीन, यदि किसी भी समय, कोई निजी प्रतिभागी अपने स्वामित्व वाले अपने किसी भी या सभी इक्विटी शेयरों या उसमें निहित मताधिकारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अंतरित करने की इच्छा रखता है ("**विक्रेता पीपी**"), तो वह:

(i) अन्य निजी प्रतिभागियों ("**शेष निजी प्रतिभागी**") को एक नोटिस द्वारा पीपी क्रय शेयरों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) की बिक्री के लिए एक प्रस्ताव देगा, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा:- (क) बिक्री के लिए प्रस्तावित किए जाने वाले इक्विटी शेयरों की कुल संख्या ("**पीपी क्रय शेयर**"), (ख) वह मूल्य जिस पर पीपी क्रय शेयर बिक्री के लिए प्रस्तावित किए जा रहे हैं ("**पीपी प्रस्ताव मूल्य**"); और (ग) इसके संबंध में कोई अन्य नियम और शर्तें ("**पीपी प्रस्ताव सूचना**")। पीपी प्रस्ताव सूचना की एक प्रति एएआई को भी भेजी जाएगी;

(ii) पीपी प्रस्ताव सूचना प्राप्त करने के अध्यधीन, और इसके नियमों और शर्तों के अनुसार, शेष निजी प्रतिभागियों के पास आपस में सभी, लेकिन पीपी क्रय शेयरों के सम्पूर्ण भाग से कम नहीं, संयुक्त उद्यम कंपनी में उनकी परस्पर संबंधित शेयरधारिता के अनुसार आनुपातिक रूप से या उनके बीच परस्पर सहमत माध्यम से खरीदने का विकल्प होगा, बशर्ते शेष निजी प्रतिभागियों द्वारा पीपी क्रय शेयरों की

ऐसी खरीद के परिणामस्वरूप विदेशी संस्थाएं इक्विटी सीमा और/या अनुसूचित एयरलाइनों की इक्विटी सीमा से अधिक न हो।

(iii) शेष निजी प्रतिभागियों को सभी पीपी क्रय शेयरों का अंतरण, लेकिन उससे कम नहीं, पीपी प्रस्ताव सूचना की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर संयुक्त उद्यम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एक ही समय और तारीख पर होगा ("**शेष पीपी क्रय अवधि**");

(iv) यदि शेष निजी प्रतिभागी शेष पीपी क्रय अवधि के भीतर विक्रेता पीपी से सभी पीपी क्रय शेयर नहीं खरीदते हैं, तो विक्रेता पीपी, शेष पीपी क्रय अवधि की समाप्ति के तीन (3) दिनों के भीतर, एएआई को पीपी प्रस्ताव मूल्य पर और पीपी प्रस्ताव सूचना में निहित समान नियमों और शर्तों पर पीपी क्रय शेयरों की बिक्री के लिए नोटिस द्वारा प्रस्ताव देगा ("**द्वितीय पीपी प्रस्ताव सूचना**");

(v) द्वितीय पीपी प्रस्ताव सूचना प्राप्त करने के अधीन और इसकी शर्तों के अनुसार, एएआई (एएआई नामनिर्दिष्टों के साथ) के पास, एएआई के विकल्प पर, सभी पीपी क्रय शेयरों को खरीदने का अधिकार होगा, लेकिन उससे कम नहीं।

(vi) एएआई और/या किसी भी एएआई नामनिर्दिष्ट को सभी पीपी क्रय शेयरों का अंतरण, लेकिन उससे कम नहीं, द्वितीय पीपी प्रस्ताव सूचना की तारीख से तीस (30) दिनों के भीतर संयुक्त उद्यम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एक ही समय और तारीख पर होगा ("**द्वितीय पीपी क्रय अवधि**");

(vii) यदि एएआई (एएआई नामनिर्दिष्टों में से किसी के साथ) द्वितीय पीपी क्रय अवधि के भीतर विक्रेता पीपी से सभी पीपी क्रय शेयर नहीं खरीदता है, तो विक्रेता पीपी द्वितीय पीपी क्रय अवधि की समाप्ति के नब्बे (90) दिनों की अवधि के भीतर पीपी प्रस्ताव मूल्य से कम नहीं मूल्य पर और द्वितीय पीपी प्रस्ताव सूचना में एएआई को दी गई शर्तों से अधिक अनुकूल नहीं नियमों और शर्तों पर किसी भी संस्था को सभी पीपी क्रय शेयरों की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होगा, लेकिन उससे कम नहीं।

3.7.2 यदि किसी भी समय, एएआई और/या एएआई नामनिर्दिष्ट अपने स्वामित्व वाले किसी भी या सभी इक्विटी शेयरों या उसमें निहित मताधिकारों को किसी संस्था को (अपने या अपनी समूह संस्थाओं के बीच किसी भी परस्पर अंतरण के अलावा) अंतरित करने की इच्छा रखते हैं, तो वे:

(i) निजी प्रतिभागियों को एक नोटिस द्वारा एएआई क्रय शेयरों (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) की बिक्री के लिए एक प्रस्ताव देंगे, जिसमें निम्नलिखित का उल्लेख होगा:- (क) बिक्री के लिए प्रस्तावित इक्विटी शेयरों की संख्या ("**एएआई क्रय शेयर**"), (ख) वह मूल्य जिस पर एएआई क्रय शेयर बिक्री के लिए प्रस्तावित किए जा रहे हैं ("**एएआई प्रस्ताव मूल्य**"); और (ग) इसके संबंध में कोई अन्य नियम और शर्तें ("**एएआई प्रस्ताव सूचना**")। एएआई प्रस्ताव सूचना की एक प्रति प्रत्येक निजी प्रतिभागी को भेजी जाएगी, जिसके पास आपस

में सभी एएआई क्रय शेयरों को खरीदने का विकल्प होगा, लेकिन उससे कम नहीं, संयुक्त उद्यम कंपनी में उनकी परस्पर संबंधित शेयरधारिता के अनुसार आनुपातिक रूप से या उनके बीच परस्पर सहमत तरीके से, बशर्ते निजी प्रतिभागियों द्वारा एएआई क्रय शेयरों की ऐसी खरीद के परिणामस्वरूप विदेशी संस्थाएं इक्विटी सीमा और/या अनुसूचित एयरलाइनों की इक्विटी सीमा से अधिक न हो;

(ii) एएआई प्रस्ताव सूचना के अनुसार निजी प्रतिभागियों को सभी एएआई क्रय शेयरों का अंतरण, लेकिन उससे कम नहीं, एएआई प्रस्ताव सूचना की तारीख के तीस (30) दिनों के भीतर संयुक्त उद्यम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में एक ही समय और तारीख पर होगा ("**एएआई क्रय अवधि**");

(iii) यदि निजी प्रतिभागी एएआई क्रय अवधि के भीतर एएआई और/या एएआई नामनिर्दिष्टों से सभी एएआई क्रय शेयर नहीं खरीदते हैं, तो एएआई और/या एएआई नामनिर्दिष्ट एएआई क्रय अवधि की समाप्ति के नब्बे (90) दिनों की अवधि के भीतर, एएआई प्रस्ताव मूल्य से कम नहीं मूल्य पर और एएआई प्रस्ताव सूचना में निजी प्रतिभागियों को दी गई शर्तों से अधिक अनुकूल नहीं नियमों और शर्तों पर किसी भी संस्था को सभी एएआई क्रय शेयरों की बिक्री करने के लिए स्वतंत्र होंगे, लेकिन उससे कम नहीं।

3.8 यह पक्षकार एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से वचन देते हैं और सहमत होते हैं कि, इस समझौते में इसके विपरीत निहित किसी भी बात के बावजूद, कोई भी विदेशी एयरलाइनों और/या उनकी संबंधित समूह संस्थाएं (ऐसी समूह संस्थाओं को छोड़कर जो आईटीआरईओआई और आरएफपी जारी करने की तिथि पर हवाई अड्डा प्रचालक थीं) संयुक्त उद्यम कंपनी के किसी भी इक्विटी शेयर को नहीं रखेंगी, न ही उन्हें रखने की अनुमति दी जाएगी।

खंड 4

संयुक्त उद्यम कंपनी का दायरा और उद्देश्य: व्यावसायिक योजना

4.1 संयुक्त उद्यम कंपनी का उद्देश्य और इस समझौते का दायरा

4.1.1 संयुक्त उद्यम कंपनी का उद्देश्य ओएमडीए ("**परियोजना**") के तहत प्रदान किए गए अनुसार हवाई अड्डे का डिजाइन, विकास, निर्माण, वित्तपोषण, प्रबंधन, प्रचालन और रखरखाव करना होगा।

4.2 शेयरधारक प्रतिबद्धताएं

4.2.1 प्रत्येक शेयरधारक एतद्द्वारा प्रत्येक अन्य शेयरधारक के साथ और संयुक्त उद्यम कंपनी के साथ सहयोग करने और संयुक्त उद्यम कंपनी तथा परियोजना की सफलता को बढ़ावा देने और व्यावसायिक योजना में निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए उस सीमा तक अपने उचित प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत होता है जहाँ तक उसके पास ऐसा करने का अधिकार और क्षमता है। हालाँकि शर्त यह है कि पक्ष एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि एएआई (या एएआई नामनिर्दिष्ट) केवल इस समझौते में निर्धारित तरीके से और सीमा तक संयुक्त उद्यम कंपनी में इक्विटी पूंजी का योगदान करने के लिए जिम्मेदार होगा।

4.2.2 प्रत्येक शेयरधारक एतद्द्वारा अन्य शेयरधारकों के प्रति और संयुक्त उद्यम कंपनी के लाभ के लिए वचन देता है;

(क) इस समझौते, शासी दस्तावेजों और पक्षों के बीच अन्य सभी समझौतों के सभी प्रावधानों का पालन और निष्पादन करना;

(ख) *जानबूझकर हटा दिया गया*

(ग) आरक्षित बोर्ड मामलों और आरक्षित शेयरधारक मामलों के संबंध में एएआई के अधिकारों के अधीन, और पूर्वाग्रह के बिना, यह सुनिश्चित करना कि (i) शेयरधारक के रूप में अपनी क्षमता में उसका प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, और (ii) इस समझौते के तहत निदेशक के रूप में नियुक्त प्रत्येक व्यक्ति शेयरधारकों की या संयुक्त उद्यम कंपनी के बोर्ड की किसी भी बैठक में, जैसा भी मामला हो, अपने मताधिकार का प्रयोग करेगा या मताधिकार का प्रयोग करवाएगा, ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक किसी भी और प्रत्येक संकल्प की स्वीकृति सुनिश्चित की जा सके कि संयुक्त उद्यम कंपनी के मामलों का संचालन ओएमडीए के अनुसार किया जाए और अन्यथा इस समझौते को पूर्ण प्रभाव दिया जाए, और इसी तरह यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी ऐसा संकल्प पारित न हो जो ओएमडीए और/या इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार न हो; हालाँकि, बशर्ते कि इस समझौते में किसी भी प्रावधान द्वारा स्पष्ट रूप से निर्देशित या अन्यथा परिकल्पित के अलावा, प्रत्येक शेयरधारक को संयुक्त उद्यम कंपनी के संचालन में अपने स्वामित्व वाले इक्विटी शेयरों पर वोट कैसे देना है या उसके द्वारा नियुक्त किसी भी व्यक्ति से कैसे कार्य करवाना है, इस पर पूर्ण विवेक होगा, जो केवल लागू कानून के अधीन होगा; और

(घ) अपनी किसी भी समूह संस्था से खंड 4.2.1 और इस खंड 4.2.2 के पैराग्राफ (ख) तथा (ग) के प्रावधानों का अनुपालन करवाना।

4.2.3 यदि खंड 5 के अनुसार किसी शेयरधारक द्वारा नामित कोई निदेशक, किसी भी कारण से इस समझौते के प्रावधानों के अनुसार अपने विवेक का प्रयोग करने से इनकार करता है, तो ऐसा शेयरधारक तुरंत अपने अधिकार या नियंत्रण के भीतर ऐसे निदेशक को प्रतिस्थापित करने के लिए सभी कार्रवाई करेगा।

4.2.4 पक्षकार सहमत होते हैं कि शासी दस्तावेज, लागू कानून के तहत अनुमत सीमा तक, इस समझौते के प्रावधानों को शामिल करेंगे और जिस सीमा तक शासी दस्तावेज समझौते के साथ असंगत हैं, शेयरधारक संयुक्त उद्यम कंपनी के शेयरधारकों के रूप में अपनी शक्ति का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करेंगे कि ऐसी किसी भी असंगति को दूर करने के लिए लागू कानून के तहत यथासंभव सीमा तक शासी दस्तावेजों में संशोधन किया जाए। इसके अलावा, पक्ष यह भी सहमत होते हैं कि निजी प्रतिभागी संयुक्त उद्यम कंपनी के शेयरधारकों के रूप में अपने परस्पर संबंधों को विनियमित करने के लिए आपस में कोई समझौता कर सकते हैं ("**निजी प्रतिभागी समझौता**"), जिसके प्रावधान, उस सीमा तक जहाँ तक वे इस समझौते के प्रावधानों के विपरीत या असंगत नहीं हैं, किसी भी तरह से एएआई के हित के लिए हानिकारक नहीं हैं और लागू कानून के तहत अनुमत हैं, शासी दस्तावेजों में शामिल किए जाएंगे। पर्याप्त सावधानी के लिए, पक्षों के बीच एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि निजी प्रतिभागी समझौते और इस समझौते के बीच विवाद या असंगति की स्थिति में, इस समझौते के प्रावधान प्राथमिकता लेंगे। पक्षकार आगे स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि यह साबित करने की जिम्मेदारी निजी प्रतिभागियों की होगी कि निजी प्रतिभागी समझौता (या उसका कोई प्रावधान) इस समझौते के प्रावधानों के विपरीत या असंगत नहीं है, किसी भी तरह से एएआई के हित के लिए हानिकारक नहीं है या लागू कानून के तहत अनुमत है, और एएआई का निर्णय अंतिम होगा।

4.2.5 इस समझौते में इसके विपरीत निहित किसी भी बात के बावजूद, पक्ष एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक एएआई नामनिर्दिष्ट या शेयरधारक के रूप में एएआई नामनिर्दिष्ट का प्रतिनिधित्व करने वाला प्रत्येक व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, शेयरधारकों की किसी भी बैठक में, जैसा भी मामला हो, मताधिकार का प्रयोग उसी तरीके से करेगा जिस माध्यम से एएआई अपने मताधिकार का प्रयोग करता है या करवाता है (यदि एएआई मतदान से दूर रहता है तो मतदान से दूर रहना भी शामिल है) या ऐसे अन्य तरीके से जैसा कि एएआई द्वारा लिखित रूप में अधिसूचित किया जाए।

खंड 5

प्रबंधन और निदेशक मंडल

5.1 संयुक्त उद्यम कंपनी का प्रबंधन और शासन बोर्ड के समग्र अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के तहत होगा। बोर्ड के पास संयुक्त उद्यम कंपनी और परियोजना के विकास और प्रबंधन के संबंध में समग्र अधिकार होगा। संयुक्त उद्यम कंपनी के अधिकारियों के पास शासी दस्तावेजों और इस समझौते के साथ सुसंगत, निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट अधिकार और जिम्मेदारियां होंगी।

5.2 बोर्ड की संरचना

5.2.1 बोर्ड की संरचना निम्नानुसार निर्धारित की जाएगी:

(i) एएआई के पास न्यूनतम एक (1) के अधीन संयुक्त उद्यम कंपनी में अपनी शेयरधारिता के आनुपातिक रूप से निदेशकों की संख्या नामित करने का अधिकार होगा।

(ii) प्रचुर स्पष्टता के लिए, यहाँ स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है कि बोर्ड में एक (1) निदेशक नामित करने का एएआई का उपर्युक्त अधिकार एएआई के संयुक्त उद्यम कंपनी में शेयरधारक न होने के बावजूद बना रहेगा और कायम रहेगा।

(iii) निजी प्रतिभागियों के पास शेष निदेशकों को नामित करने का अधिकार होगा।

5.2.2 शेयरधारक एतद्द्वारा समय-समय पर एएआई और निजी प्रतिभागियों के नामनिर्दिष्टों की निदेशकों के रूप में नियुक्ति सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी में अपनी संबंधित शेयरधारिता पर इस प्रकार मतदान करने को स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं।

5.3 अध्यक्ष

5.3.1 पक्षकार एतद्द्वारा यह वचन देते हैं और सहमत होते हैं कि जब तक निजी प्रतिभागी कुल मिलाकर संयुक्त उद्यम कंपनी की कुल भुगतान और बकाया इक्विटी शेयर पूंजी के पचास (50) प्रतिशत से अधिक भाग रखते हैं, उनके पास संयुक्त उद्यम कंपनी के अध्यक्ष को नामित करने का अधिकार होगा, जिसे बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

5.3.2 पक्षकार आगे स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि यदि, किसी भी समय, निजी प्रतिभागियों की कुल शेयरधारिता संयुक्त उद्यम कंपनी की कुल भुगतान और बकाया इक्विटी शेयर पूंजी के पचास (50) प्रतिशत के बराबर या उससे कम हो जाती है, तो एएआई के पास संयुक्त उद्यम कंपनी के अध्यक्ष को नामित करने का अधिकार होगा, जिसे बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

5.3.3 अध्यक्ष बोर्ड की या संयुक्त उद्यम कंपनी के शेयरधारकों की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे ।

5.3.4 यदि अध्यक्ष बोर्ड की बैठक या शेयरधारकों की बैठक में उपस्थित नहीं है, तो उपस्थित निदेशक बोर्ड की बैठक के उद्देश्य के लिए निजी प्रतिभागियों के अन्य नामनिर्दिष्ट निदेशकों में से एक कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं या, यदि निजी प्रतिभागियों का कोई भी नामनिर्दिष्ट निदेशक उपस्थित नहीं है, तो बैठक में उपस्थित किसी भी निदेशक को नियुक्त कर सकते हैं।

5.3.5 किसी भी गतिरोध की स्थिति में, अध्यक्ष के पास निर्णायक मत नहीं होगा।

5.4 प्रबंध निदेशक

5.4.1 निजी प्रतिभागी संयुक्त उद्यम कंपनी के प्रबंध निदेशक को भी नामित करेंगे, जिसे बोर्ड के एक संकल्प के बाद, बोर्ड द्वारा नियुक्त किया जाएगा। प्रबंध निदेशक बारी-बारी से सेवानिवृत्त होने का उत्तरदायी नहीं होगा। प्रबंध निदेशक की प्रत्येक नियुक्ति की अवधि

ऐसी अवधि के लिए होगी जैसा कि बोर्ड द्वारा समय-समय पर तय किया जाएगा और नियुक्त व्यक्ति के साथ एक विस्तृत रोजगार समझौते (यदि बोर्ड द्वारा आवश्यक समझा जाए) के अधीन होगी।

5.4.2 प्रबंध निदेशक संयुक्त उद्यम कंपनी के दैनिक प्रबंधन और परियोजना को लागू करने के लिए जिम्मेदार होगा। प्रबंध निदेशक बोर्ड के समग्र अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करेगा।

5.5 योग्यता

5.5.1 निदेशकों के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी में कोई योग्यता शेयर रखना आवश्यक नहीं है।

5.6 त्यागपत्र और निष्कासन

5.6.1 प्रबंध निदेशक को छोड़कर, सभी निदेशक बारी-बारी से सेवानिवृत्त होने के उत्तरदायी होंगे, बशर्ते कि एएआई या निजी प्रतिभागी (जैसा भी मामला हो) ऐसी सेवानिवृत्ति/घूर्णन से होने वाली रिक्ति को भरने के लिए उसी या किसी अन्य व्यक्ति को निदेशक के रूप में नामित करने के हकदार होंगे। सिवाय जहाँ किसी निदेशक से लागू कानून या शासी दस्तावेजों द्वारा पद खाली करने की आवश्यकता होती है, किसी भी निदेशक को उसकी उस अवधि के दौरान जिसके लिए वह चुना गया था, उस शेयरधारक की सहमति के बिना नहीं हटाया जाएगा जिसने बोर्ड में उसकी नियुक्ति की सिफारिश की थी। पूर्वगामी के बावजूद, एक शेयरधारक ऐसे शेयरधारक द्वारा नामित निदेशकों में से किसी के लिए भी किसी भी कारण से हटाने, प्रतिस्थापन या वापस बुलाने की मांग कर सकता है और ऐसा निदेशक हटाने, प्रतिस्थापन या वापस बुलाने के निर्देश से बाध्य होगा। प्रत्येक शेयरधारक ऐसे निष्कासन को प्रभावित करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी के शेयरधारकों की बैठक आयोजित करने और यदि आवश्यक हो तो उसके पक्ष में मतदान करने में अन्य शेयरधारकों के साथ सहयोग करने के लिए सहमत होता है।

5.7 वैकल्पिक निदेशक

5.7.1 प्रबंध निदेशक के अलावा, एक निदेशक ("**मूल निदेशक**") किसी भी समय और समय-समय पर, किसी भी व्यक्ति को मूल निदेशक के वैकल्पिक ("**वैकल्पिक निदेशक**") के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करने का हकदार होगा (और शेयरधारक यह सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड ऐसे व्यक्ति को उसके वैकल्पिक के रूप में नियुक्त करे) और ऐसे वैकल्पिक निदेशक की नियुक्ति की समाप्ति का निर्देश देने का हकदार होगा (और शेयरधारक यह सुनिश्चित करेंगे कि बोर्ड ऐसे वैकल्पिक निदेशक की नियुक्ति को समाप्त करे)।

5.7.2 ऐसा वैकल्पिक निदेशक, उस रूप में पद पर रहने के दौरान, बोर्ड या उसकी किसी समिति की बैठकों की सूचनाएं प्राप्त करने का हकदार होगा जिसमें मूल निदेशक को नियुक्त किया गया है, और ऐसी किसी भी बैठक में निदेशक के रूप में उपस्थित होने और मतदान करने का हकदार होगा जिसमें मूल निदेशक उपस्थित नहीं है और सामान्य

रूप से सभी शक्तियों, अधिकारों (इस खंड 5.7.1 में यथा प्रदान किए गए वैकल्पिक निदेशक नियुक्त करने के अधिकार के अलावा), कर्तव्यों और अधिकारों का प्रयोग करने और मूल निदेशक के सभी कार्यों को निष्पादित करने का हकदार होगा। इसके अलावा, ऐसा वैकल्पिक निदेशक बोर्ड या उसकी किसी भी समिति की किसी भी बैठक में मूल निदेशक की ओर से कोरम गठित करने, मत का प्रयोग करने और एक लिखित संकल्प पर हस्ताक्षर करने का हकदार होगा और लागू कानून द्वारा अनुमत सीमा तक उसका हस्ताक्षर, मत, उपस्थिति और सहमति उसकी स्वयं की (जैसे कि वह अपने अधिकार में एक निदेशक है) और उस मूल निदेशक की मानी जाएगी जिसके लिए वह एक वैकल्पिक निदेशक है।

5.8 रिक्ति

5.8.1 यदि किसी भी कारण से ऐसे किसी पद में रिक्ति होती है, या एक निदेशक उस स्थान से लगातार एक (1) महीने की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है जहाँ बोर्ड की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं और उसके स्थान पर कोई वैकल्पिक निदेशक नियुक्त नहीं किया गया है, तो जिस शेयरधारक ने ऐसे निदेशक को नामित किया था, वह एक प्रतिस्थानी निदेशक को नामित करने का हकदार होगा, और शेयरधारक ऐसे प्रतिस्थानी निदेशक के चुनाव के लिए सर्वसम्मति से अपने शेयरों पर मतदान करने के लिए सहमत होते हैं।

5.9 बोर्ड की बैठक आयोजित करने का तरीका

5.9.1 बोर्ड की बैठकें प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार भारत में ऐसे स्थानों पर आयोजित की जाएंगी जैसा कि बोर्ड निर्धारित कर सकता है और ऐसा कोई निर्धारण न होने पर दिल्ली स्थित संयुक्त उद्यम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में आयोजित की जाएंगी। यदि और जब लागू कानून के तहत अनुमत हो, एक निदेशक टेलीफोन, ऑडियो और/या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अन्य संचार सुविधाओं के माध्यम से बोर्ड की बैठक या बोर्ड की समिति/उप-समिति की बैठक में भाग ले सकता है, और ऐसे साधनों द्वारा ऐसी बैठक में भाग लेने वाले निदेशक को इस समझौते के प्रयोजनों के लिए उस बैठक में उपस्थित माना जाएगा।

5.10 बैठक के लिए सूचना और कार्यसूची)

5.10.1 जब तक सभी निदेशकों द्वारा सूचना की आवश्यकता को माफ नहीं किया जाता है, सभी निदेशकों और उनके वैकल्पिक निदेशकों को बोर्ड की बैठकों की कम से कम चौदह (14) दिनों की लिखित सूचना (या ऐसी छोटी अवधि जिस पर सभी निदेशक सहमत हों) दी जाएगी। बोर्ड की बैठक की प्रत्येक सूचना में, अन्य बातों के साथ-साथ, संबंधित बैठक में चर्चा किए जाने वाले मामलों का उचित विवरण देने वाली कार्यसूची शामिल होगी और इसके साथ सभी आवश्यक लिखित जानकारी संलग्न होगी।

5.10.2 बोर्ड केवल निदेशकों को सूचना के साथ भेजी गई कार्यसूची में निर्धारित व्यवसाय का संचालन करेगा। हालाँकि शर्त यह है कि सभी निदेशकों की सर्वसम्मति से, जिसमें उपस्थित और पक्ष में मतदान करने वाले एएआई द्वारा नामित कम से कम 1 (एक)

निदेशक शामिल हो, बोर्ड उस व्यवसाय का संचालन कर सकता है जो कार्यसूची में निर्धारित नहीं है।

5.11 कोरम

5.11.1 बोर्ड की बैठकों या उसके किसी स्थगन के लिए कोरम में एएआई द्वारा नामित कम से कम एक (1) निदेशक और निजी प्रतिभागियों में से किसी द्वारा नामित कम से कम एक (1) निदेशक आवश्यक रूप से शामिल होंगे। बशर्ते कि बोर्ड की किसी भी बैठक या उसके किसी स्थगन को वैध रूप से गठित करने के लिए एएआई द्वारा नामित कम से कम एक (1) निदेशक होने की आवश्यकता संयुक्त उद्यम कंपनी में उसकी शेयरधारिता के बावजूद लागू होगी; आगे बशर्ते कि बोर्ड की किसी भी बैठक या उसके किसी स्थगन को वैध रूप से गठित करने के लिए निजी प्रतिभागियों में से किसी के द्वारा नामित कम से कम एक (1) निदेशक होने की आवश्यकता केवल उस समय तक लागू होगी जब तक कि निजी प्रतिभागी, कुल मिलाकर, संयुक्त उद्यम कंपनी में कम से कम 26 प्रतिशत इक्विटी शेयर रखते हैं।

5.11.2 यदि बोर्ड की बैठक आयोजित करने के लिए नियत समय से आधे घंटे के भीतर कोरम उपस्थित नहीं होती है, तो उक्त बोर्ड बैठक अगले सप्ताह उसी दिन, उसी समय और स्थान पर आयोजित की जाएगी ("**स्थगित बैठक**")। यदि स्थगित बैठक में भी वैध कोरम गठित नहीं की जा सकती है, तो उपस्थित निदेशक वैध कोरम का गठन करेंगे।

5.11.3 ऐसी बैठकों में जहाँ गणपूर्ति इस प्रकार गठित नहीं की गई है, व्यापार के सभी मदों या लिए गए निर्णयों को शून्य माना जाएगा।

5.12 बोर्ड की समितियां

5.12.1 यदि बोर्ड किसी समिति या उप-समिति का गठन करना आवश्यक लगता है, तो बोर्ड ऐसी समिति या उप-समिति की शक्तियों (दायरा, समाप्ति, संशोधन और उसको वापस लेना शामिल है) का निर्धारण करेगा। समिति या उप-समिति बोर्ड के अधीन होगी और उसके पर्यवेक्षण के तहत काम करेगी। किसी भी विपरीत बात के निहित होने के बावजूद, एएआई को बोर्ड द्वारा गठित प्रत्येक समिति और उप-समिति में एक-एक नामनिर्दिष्ट प्रतिनिधि को नामित करने का अधिकार होगा।

5.13 निर्णय

5.13.1 निदेशक मंडल के प्रत्येक सदस्य को निदेशक मंडल द्वारा तय किए जाने वाले किसी भी मामले के संबंध में एक वोट देने का अधिकार होगा।

5.13.2 निदेशक मंडल का एक संकल्प निदेशकों की साधारण बहुमत के सकारात्मक मत द्वारा अपनाया जाएगा जहाँ निदेशक मंडल की कोरम उपस्थित हो। हालाँकि शर्त यह है कि, जब तक एएआई अपने नामनिर्दिष्टों के साथ कुल मिलाकर संयुक्त उद्यम कंपनी के दस (10) प्रतिशत से कम इक्विटी शेयर नहीं रखता है, आरक्षित बोर्ड मामलों के संबंध में किसी भी निर्णय को बहुमत से पारित माना जाएगा जिसके लिए एएआई द्वारा नामित निदेशकों के सकारात्मक मत की आवश्यकता होगी।

5.13.3 संयुक्त उद्यम कंपनी या उसका कोई भी निदेशक, अधिकारी, एजेंट या प्रतिनिधि बोर्ड की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भी आरक्षित बोर्ड मामला शुरू नहीं करेगा।

5.14 परिपत्र द्वारा संकल्प

5.14.1 लागू कानून के अधीन और आरक्षित मामलों के अलावा अन्य मामलों के लिए, बोर्ड के संकल्पों को परिपत्र द्वारा पारित किया जा सकता है, यदि संकल्प को ड्राफ्ट में, आवश्यक कागजात (यदि कोई हो) के साथ, सभी निदेशकों को प्रसारित किया गया है, जो तब भारत में या भारत से बाहर हैं, और निदेशकों के बहुमत द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है। ऐसे संकल्पों पर निदेशकों द्वारा एकल दस्तावेज के रूप में या प्रतिलेखों में हस्ताक्षर किए जा सकते हैं।

5.15 अधिकार

5.15.1 जब तक बोर्ड द्वारा अन्यथा अधिकृत न किया जाए, निदेशकों में से किसी को भी व्यक्तिगत रूप से संयुक्त उद्यम कंपनी को बाध्य करने का अधिकार नहीं होगा।

5.16 निदेशकों की अयोग्यता

5.16.1 लागू कानून के अधीन, किसी निदेशक को किसी अन्य निकाय कॉर्पोरेट का अधिकारी, निदेशक या शेयरधारक होने के कारण सेवा करने के लिए अयोग्य नहीं माना जाएगा।

5.17 निरीक्षण और जानकारी

5.17.1 पक्षों के बीच एतद्द्वारा यह सहमति व्यक्त की जाती है कि एएआई के पास संयुक्त उद्यम कंपनी द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकों, अभिलेखों और खातों का परीक्षण करने का अधिकार होगा और वह मासिक प्रबंधन खातों और परिचालन आंकड़ों और अन्य व्यापारिक तथा वित्तीय जानकारी सहित सभी जानकारी प्राप्त करने का हकदार होगा।

5.17.2 खंड 5.17.1 की सामान्यता के प्रतिकूल प्रभाव के बिना, संयुक्त उद्यम कंपनी एएआई को निम्नलिखित की प्रतियां प्रदान करेगी:

(क) संयुक्त उद्यम कंपनी के लेखापरीक्षित खाते (सभी प्रासंगिक कानूनी आवश्यकताओं का अनुपालन करते हुए); और

(ख) संयुक्त उद्यम कंपनी के प्रत्येक प्रमुख प्रभाग के मासिक/तिमाही प्रबंधन खाते; इनमें एक समेकित लाभ-हानि खाता, तुलन पत्र (बैलेंस शीट) और नकदी प्रवाह विवरण शामिल होगा, जिसे संयुक्त उद्यम कंपनी के प्रमुख प्रभागों के अनुसार विभाजित किया गया है, जिसमें संबंधित व्यावसायिक योजना के विरुद्ध प्रगति का विवरण, तिमाही राजस्व बजट से किसी भी भिन्नता का विवरण और प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के शेष के लिए अद्यतन पूर्वानुमान और उस अवधि के दौरान प्रत्येक प्रमुख प्रभाग द्वारा प्रवेश किए गए संयुक्त उद्यम कंपनी के पूंजी कार्यक्रम के संबंध में सभी व्ययों को मदवार दर्शाया गया हो;

खंड 6

शेयरधारकों के अधिकार और दायित्व

6.1 शेयरधारकों की स्वीकृति की आवश्यकता वाले मामले

6.1.1 जब तक कि एएआई अपने नामनिर्दिष्टों के साथ कुल मिलाकर संयुक्त उद्यम कंपनी में कम से कम दस (10) प्रतिशत इक्विटी शेयर नहीं रखता है, संयुक्त उद्यम कंपनी (या उसका कोई भी निदेशक, अधिकारी, एजेंट या प्रतिनिधि) आरक्षित शेयरधारक मामलों के संबंध में किसी भी निर्णय या संकल्प को तब तक प्रभावी नहीं करेगी, जब तक कि वह एएआई के सकारात्मक मत द्वारा स्वीकृत न हो।

6.1.2 संयुक्त उद्यम कंपनी के अंतर्नियम संस्था के लेख (क) संयुक्त उद्यम कंपनी के शेयरधारकों की बैठकों में प्रतिनिधियों (proxies) को मतदान करने की स्पष्ट रूप से अनुमति देंगे; और (ख) संयुक्त उद्यम कंपनी के शेयरों के संबंध में कई प्रतिनिधियों/प्रतिनिधियों की नियुक्ति की स्पष्ट रूप से अनुमति देंगे और प्रत्येक प्रतिनिधि द्वारा उपयोग किए जाने के लिए अधिकृत मतों की संख्या निर्दिष्ट करेंगे।

खंड 6 क

प्रतिनिधित्व और वारंटियां

6 क.1 प्रत्येक निजी प्रतिभागी एतद्द्वारा एएआई, संयुक्त उद्यम कंपनी और अन्य निजी प्रतिभागियों के लाभ के लिए वारंटी देता है और प्रतिनिधित्व करता है कि:

(i) यह कानून के तहत विधिवत संगठित और वैध रूप से विद्यमान है और इसके पास इस समझौते को निष्पादित करने और इसके नियमों, शर्तों और प्रावधानों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी शक्ति और अधिकार हैं;

(ii) निजी प्रतिभागी द्वारा इस समझौते का निष्पादन और सुपुर्दगी सभी आवश्यक निगमित और अन्य कार्रवाई द्वारा विधिवत अधिकृत की गई है और यह किसी भी अन्य समझौते या साधन के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगी या व्यतिक्रम का गठन नहीं करेगी, जिसका वह एक पक्ष है या जिससे वह बाध्य हो सकता है;

(iii) यह समझौता और इसके द्वारा परिकल्पित लेनदेन के संबंध में किए गए और निष्पादित किए गए ऐसे सभी अन्य समझौते और लिखित दायित्व, जिनके निष्पादन और सुपुर्दगी के बाद यह एक पक्ष है, ऐसे निजी प्रतिभागी के वैध और कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों का गठन करते हैं या करेंगे, जो इसकी संबंधित शर्तों के अनुसार इसके विरूद्ध लागू करने योग्य हैं, लेनदारों के अधिकारों के प्रवर्तन को सामान्य रूप से प्रभावित करने वाले लागू दिवालियापन, दिवाला, पुनर्गठन और अन्य कानूनों के उपचारों के प्रवर्तन के अधीन और विशिष्ट निष्पादन या अन्य न्यायसंगत उपचारों का आदेश देने वाले निर्माण लेने के संबंध में अदालत के विवेकाधीन अधिकार के अध्यधीन है;

(iv) यह दिवालिया नहीं है और न इसके द्वारा या इसके विरूद्ध कोई दिवालियापन कार्यवाही शुरू की गई है, न ही धमकी दी गई है या लंबित है;

(v) इसने सभी तात्विक मामलों में लागू कानून का अनुपालन किया है और यह किसी भी जुर्माने, शास्ति, निषेधाज्ञा राहत या किसी अन्य नागरिक या आपराधिक देनदारियों के अधीन नहीं रहा है जो कुल मिलाकर इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की इसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है या डाल सकती है;

(vi) कानून, इक्विटी या अन्यथा सिविल या आपराधिक प्रकृति की कोई भी कार्रवाई, मुकदमा, दावा, कार्यवाही या जांच लंबित नहीं है या निजी प्रतिभागी के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार किसी भी अदालत, आयोग, मध्यस्थ या सरकारी प्राधिकरण के समक्ष या उसके द्वारा इसके खिलाफ लिखित रूप में धमकी नहीं दी गई है, और ऐसी किसी भी अदालत, आयोग, मध्यस्थ या सरकारी प्राधिकरण का कोई बकाया निर्णय, डिक्री या आदेश नहीं है जो इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को निष्पादित करने की इसकी क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो।

6क.2 एएआई एतद्द्वारा संयुक्त उद्यम कंपनी और निजी प्रतिभागियों के लाभ के लिए वारंटी देता है और प्रतिनिधित्व करता है कि:

(i) यह कानून के तहत विधिवत संगठित और वैध रूप से विद्यमान है और इसके पास इस समझौते को निष्पादित करने और इसके नियमों, शर्तों और प्रावधानों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कानूनी शक्ति और अधिकार हैं;

(ii) एएआई द्वारा इस समझौते का निष्पादन और सुपुर्दगी सभी आवश्यक निगमित और अन्य कार्रवाई द्वारा विधिवत अधिकृत की गई है और यह किसी भी अन्य समझौते या साधन के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं करेगी या व्यतिक्रम का गठन नहीं करेगी, जिसका वह एक पक्ष है या जिससे वह बाध्य हो सकता है;

(iii) यह समझौता और इसके द्वारा परिकल्पित लेनदेन के संबंध में किए गए और निष्पादित किए गए ऐसे सभी अन्य समझौते और लिखित दायित्व, जिनके निष्पादन और सुपुर्दगी के बाद यह एक पक्ष है, एएआई के वैध और कानूनी रूप से बाध्यकारी दायित्वों का गठन करते हैं या करेंगे, जो इसकी संबंधित शर्तों के अनुसार इसके विरूद्ध लागू करने योग्य हैं, लेनदारों के अधिकारों के प्रवर्तन को सामान्य रूप से प्रभावित करने वाले लागू दिवालियापन, दिवाला, पुनर्गठन और अन्य कानूनों के उपचारों के प्रवर्तन के अधीन और विशिष्ट निष्पादन या अन्य न्यायसंगत उपचारों का आदेश देने वाले निर्णय देने के संबंध में अदालत के विवेकाधीन अधिकार के अधीन है;

(iv) एएआई दिवालिया नहीं है और इसके द्वारा या इसके विरूद्ध कोई दिवाला कार्यवाही शुरू नहीं की गई है, न ही धमकी दी गई है या लंबित है;

(v) इसने सभी तात्विक मामलों में लागू कानून का अनुपालन किया है और यह किसी भी जुर्माने, शास्ति, निषेधाज्ञा राहत या किसी अन्य नागरिक या आपराधिक देनदारियों के अधीन नहीं रहा है जो कुल मिलाकर इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की इसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है या डाल सकती है;

(vi) कानून, इक्विटी या अन्यथा सिविल या आपराधिक प्रकृति की कोई भी कार्रवाई, मुकदमा, दावा, कार्यवाही या जांच लंबित नहीं है या एएआई के सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार किसी भी अदालत, आयोग, मध्यस्थ या सरकारी प्राधिकरण के समक्ष या उसके द्वारा इसके खिलाफ लिखित रूप में धमकी नहीं दी गई है, और ऐसी किसी भी अदालत, आयोग, मध्यस्थ या सरकारी प्राधिकरण का कोई लंबित निर्णय, डिक्री या आदेश नहीं है जो इस समझौते के तहत अपने दायित्वों को निष्पादित करने की उसकी क्षमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता हो।

6क.3 इस समझौते के प्रत्येक पक्षकार एतद्द्वारा स्वीकार करते हैं कि (i) इस खंड 6क में किए गए और/या संदर्भित प्रतिनिधित्वों और वारंटियों के अलावा, किसी भी पक्ष ने इस समझौते के प्रयोजनों के लिए कंपनी के व्यवसाय और संचालन के संबंध में उसे दिए गए किसी भी अन्य प्रतिनिधित्व या वारंटी (चाहे लिखित या मौखिक) या किसी भी वित्तीय प्रक्षेपण या पूर्वानुमान या बाजार की जानकारी पर भरोसा नहीं किया है और न ही करेगा; और (ii) इस समझौते के प्रयोजनों के लिए इस खंड 6क में स्पष्ट रूप से निर्धारित और/या संदर्भित के अलावा किसी भी पक्ष या उसके प्रतिनिधियों की ओर से या उनकी ओर से कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं है।

खंड 7

समाप्ति

7.1 समाप्ति

7.1.1 पक्षकार सहमत होते हैं कि यदि कोई भी शेयरधारक (अपनी किसी भी संबंधित समूह संस्था के साथ और एएआई के मामले में एएआई नामनिर्दिष्टों के साथ भी) प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त उद्यम कंपनी के किसी भी इक्विटी शेयर को रखना बंद कर देता है, तो यह समझौता ऐसे शेयरधारक के संबंध में स्वतः समाप्त हो जाएगा। हालाँकि शर्त यह है कि गोपनीयता (खंड 8) और विवाद समाधान (खंड 9.4) से संबंधित इस समझौते के तहत ऐसे शेयरधारक के दायित्व और इस समझौते के ऐसे अन्य प्रावधान जो अपनी प्रकृति के अनुसार बने रहने के लिए अभिप्रेत हैं, इस समझौते की किसी भी समाप्ति के बाद भी बने रहेंगे।

7.2 कारण से समाप्त करने का अधिकार

(क) किसी शेयरधारक ("**व्यतिक्रमी पक्ष**") की ओर से इस समझौते के किसी भी नियम और शर्त या इसमें निर्धारित किसी भी संकल्प, प्रतिनिधित्व, वारंटी या समझौते के तात्विक उल्लंघन ("**तात्विक उल्लंघन**") की स्थिति में, कोई भी अन्य शेयरधारक ("**गैर-व्यतिक्रमी पक्ष**") व्यतिक्रमी पक्ष को कथित उल्लंघन की लिखित सूचना ("**उल्लिखित सूचना**") दे सकता है।

(ख) निम्नलिखित स्थितियों में एक समाप्ति घटना ("**समाप्ति घटना**") घटी मानी जाएगी:

(i) यदि ऐसा तात्विक उल्लंघन, यदि तार्किक रूप से सुधारे जाने योग्य है, उल्लंघन सूचना प्राप्त होने के तीस (30) दिनों के भीतर व्यतिक्रमी पक्ष द्वारा सुधारा नहीं जाता है ("**सुधार अवधि**"), या यदि ऐसा तात्विक उल्लंघन तार्किक रूप से सुधारे जाने योग्य नहीं है, तो उल्लंघन सूचना जारी होने पर तुरंत;

(ii) किसी शेयरधारक के खिलाफ दिवाला, समापन या दिवालियापन याचिका या अन्य दिवाला आवेदन प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में, या सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा आदेश दिए जाने पर, या अन्य शेयरधारकों द्वारा लिखित रूप में पूर्व-अनुमोदित पुनर्गठन या पुनर्रचना के दौरान अन्यथा उस शेयरधारक के समापन, विघटन या न्यायिक प्रबंधन या प्रशासन के लिए एक संकल्प पारित किया जाता है (ऐसा अनुमोदन अनुचित रूप से रोका नहीं जाएगा)। संदेह से बचने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि एएआई अधिनियम के तहत एएआई या उसकी संपत्ति के संबंध में भारत सरकार द्वारा किसी भी शक्ति का प्रयोग, जिसमें इसका पुनर्गठन शामिल है लेकिन इसी तक सीमित नहीं है, समाप्ति घटना नहीं होगी;

(iii) किसी शेयरधारक की संपत्ति के खिलाफ कोई कुड़की, जब्ती, संकट, निष्पादन या अन्य कानूनी प्रक्रिया लगाई जाती है, लागू की जाती है या शुरू की जाती है, या किसी शेयरधारक की किसी संपत्ति के संबंध में एक परिसमापक, न्यायिक प्रबंधक, रिसीवर, प्रशासक, दिवालियापन-ट्रस्टी, संरक्षक या अन्य समान अधिकारी नियुक्त किया गया है (या ऐसे अधिकारी की नियुक्ति के लिए याचिका प्रस्तुत की गई है); या

(ग) निजी प्रतिभागियों में से किसी की ओर से समाप्ति घटना के घटित होने पर:

(i) गैर-व्यतिक्रमी निजी प्रतिभागियों को संयुक्त उद्यम कंपनी में व्यतिक्रमी निजी प्रतिभागी की संपूर्ण शेयरधारिता का अधिग्रहण करने का अधिकार होगा; और व्यतिक्रमी निजी प्रतिभागी एतद्द्वारा निजी प्रतिभागियों के बीच सहमत / सहमत किए जाने वाले मूल्य पर संयुक्त उद्यम कंपनी में अपनी संपूर्ण शेयरधारिता को गैर-व्यतिक्रमी निजी प्रतिभागियों को इस प्रकार अंतरित करने का संकल्प लेता है और सहमत होता है। हालाँकि शर्त यह है कि ऐसा अंतरण किसी भी तरह से विदेशी संस्थाएं इक्विटी सीमा और/या अनुसूचित एयरलाइनों की इक्विटी सीमा से अधिक न हो;

(ii) व्यतिक्रमी निजी प्रतिभागी द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयरों का अंतरण, लेकिन उससे कम नहीं, समाप्ति घटना की तिथि से तीस (30) दिनों के भीतर संयुक्त उद्यम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय में होगा ("**पीपी व्यतिक्रम क्रय अवधि**");

(iii) यदि उपर्युक्त खंड 7.2(ग)(i) के अनुसार गैर-व्यतिक्रमी निजी प्रतिभागियों द्वारा व्यतिक्रमी निजी प्रतिभागियों की संपूर्ण शेयरधारिता नहीं खरीदी जाती है, तो एएआई (और/या इस संबंध में एएआई द्वारा नामित एएआई नामनिर्दिष्टों) के पास पीपी व्यतिक्रम क्रय अवधि की समाप्ति के बाद पैंतालिस (45) दिनों के भीतर व्यतिक्रमी निजी प्रतिभागी को नोटिस जारी करके, संयुक्त उद्यम कंपनी में व्यतिक्रमी पक्ष द्वारा धारित संपूर्ण शेयरधारिता का अधिग्रहण करने का अधिकार होगा, लेकिन दायित्व नहीं होगा, और व्यतिक्रमी निजी प्रतिभागी (i) अंकित मूल्य का 50%; या (ii) उचित बाजार मूल्य का 50% में से जो भी कम हो, पर संयुक्त उद्यम कंपनी में धारित

अपनी संपूर्ण शेयरधारिता एएआई और/या एएआई नामनिर्दिष्टों (जैसा भी मामला हो) को अंतरित करने के लिए वचनबद्ध है और सहमत होता है।

(iv) यदि व्यतिक्रमी पक्ष द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयर गैर-व्यतिक्रमी पक्ष (या तो एएआई (और/या एएआई नामनिर्दिष्ट) या गैर-व्यतिक्रमी निजी प्रतिभागी (या उनके स्वीकृत नामनिर्दिष्ट) द्वारा व्यतिक्रम क्रय अवधि की समाप्ति के साठ (60) दिनों के भीतर नहीं खरीदे जाते हैं, तो जिस तात्विक उल्लंघन के संबंध में उल्लंघन सूचना दी गई थी, उसे क्षमा कर दिया गया माना जाएगा और समाप्ति घटना को गैर-व्यतिक्रमी पक्ष के व्यतिक्रमी पक्ष के विरूद्ध कानून या इस समझौते के तहत अन्य उपचारों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना समाप्त माना जाएगा।

(घ) एएआई के तात्विक उल्लंघन द्वारा समाप्ति घटना के घटित होने पर:

(i) निजी प्रतिभागियों के पास समाप्ति घटना के घटित होने की तिथि के पैंतालिस (45) दिनों के भीतर एएआई को नोटिस जारी करके ("**एएआई व्यतिक्रम क्रय अवधि**"), (i) अंकित मूल्य का 100%; या (ii) उचित बाजार मूल्य का 100% में से जो भी कम हो, पर एएआई की संपूर्ण शेयरधारिता (एएआई नामनिर्दिष्टों की शेयरधारिता सहित) को अधिग्रहित करने का अधिकार होगा, लेकिन दायित्व नहीं होगा। हालाँकि शर्त यह है कि ऐसा अंतरण किसी भी तरह से विदेशी संस्थाएं इक्विटी सीमा और/या अनुसूचित एयरलाइनों की इक्विटी सीमा से अधिक न हो;

(ii) यदि एएआई (एएआई नामनिर्दिष्टों के साथ) द्वारा धारित सभी इक्विटी शेयर व्यतिक्रम क्रय अवधि समाप्त होने के साठ (60) दिनों के भीतर निजी प्रतिभागी (या उनके स्वीकृत नामनिर्दिष्टों) द्वारा नहीं खरीदे जाते हैं, तो जिस तात्विक उल्लंघन के संबंध में उल्लंघन सूचना दी गई थी, उसे क्षमा कर दिया गया माना जाएगा और समाप्ति घटना को गैर-व्यतिक्रमी पक्ष के व्यतिक्रमी पक्ष के खिलाफ कानून या इस समझौते के तहत अन्य उपचारों के प्रतिकूल प्रभाव के बिना समाप्त माना जाएगा।

(ड.) इस खंड 7.2 के तहत शेयर खरीदने का हकदार कोई भी शेयरधारक ऐसे शेयरधारक के स्थान पर उक्त शेयरों को खरीदने के लिए अपनी किसी भी समूह संस्था को नामित करने का अधिकार रखेगा। हालाँकि शर्त यह है कि (i) ऐसा अंतरण किसी भी तरह से विदेशी संस्थाएं इक्विटी सीमा और/या अनुसूचित एयरलाइनों की इक्विटी सीमा से अधिक न हो; और (ii) समूह संस्था इस समझौते के नियमों और शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत होती है और वचन देती है तथा अनुपालन विलेख निष्पादित करती है।

खंड 8

गोपनीयता

8.1 पक्षकार एतद्द्वारा स्वीकार करते हैं और सहमत होते हैं कि उनमें से प्रत्येक और उनकी समूह संस्थाओं के पास ऐसी जानकारी है और बनी रहेगी जो उनके और उनकी समूह संस्थाओं द्वारा बनाई गई, खोजी गई, विकसित की गई, या अन्यथा जानी गई और स्वामित्व में है, जिसका उस व्यवसाय में व्यावसायिक मूल्य है जिसमें वे और उनकी समूह संस्थाएं संलग्न हैं या संलग्न हो सकती हैं (उपर्युक्त जानकारी को इसके बाद "**स्वामित्व वाली जानकारी**" कहा जाएगा)। पक्षकार, अपनी और अपनी समूह संस्थाओं की ओर से, सहमत होते हैं कि इस समझौते की अवधि के दौरान और इसके समाप्त या समाप्त होने के बाद, उनमें से प्रत्येक ऐसी सभी स्वामित्व वाली जानकारी को विश्वास और भरोसे में रखेगा, और वे तथा उनकी समूह संस्थाएं अन्य पक्षों की लिखित सहमति के बिना किसी भी ऐसी स्वामित्व वाली जानकारी या उससे सीधे संबंधित किसी भी चीज़ का उपयोग या प्रकटीकरण नहीं करेंगे।

8.2 किसी भी कारण से इस समझौते की समाप्ति या समाप्ति की स्थिति में, पक्षकार तुरंत, ऐसी स्वामित्व वाली जानकारी के मालिक के निर्देश पर, ऐसी स्वामित्व वाली जानकारी से संबंधित किसी भी प्रकृति के सभी दस्तावेजों और डेटा का उपयोग बंद कर देंगे, नष्ट कर देंगे या मालिक या उसकी समूह संस्थाओं को वापस कर देंगे, जो ऐसे पक्ष या उसकी किसी भी समूह संस्था के स्वामित्व में है, और किसी भी विवरण के किसी भी दस्तावेज़ या डेटा या किसी भी विवरण के पुनरुत्पादित प्रति को किसी अन्य को नहीं रखेंगे या नहीं देंगे जिसमें कोई स्वामित्व वाली जानकारी शामिल है या उससे संबंधित है।

8.3 हालाँकि, यह खंड ऐसी जानकारी पर लागू नहीं होगा, जो:

(क) किसी भी पक्ष की गलती के बिना सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है या हो जाती है;

(ख) प्रकटीकरण से पहले किसी भी पक्ष को गैर-गोपनीय आधार पर ज्ञात थी;

(ग) स्वामित्व वाली जानकारी का उपयोग किए बिना किसी भी पक्ष द्वारा स्वतंत्र रूप से विकसित की गई है;

(घ) ऐसी जानकारी के स्वामी द्वारा किसी तीसरे पक्ष को यहाँ निहित समान प्रतिबंधों के बिना प्रकट की जाती है;

(ड.) ऋण की बिक्री में गिरावट/आहरण को सक्षम करने के लिए या प्रस्तावित तीसरे पक्ष के अंतरिती को सक्षम करने के लिए प्रकट की जाती है, बशर्ते कि प्राप्तकर्ता केवल उसी उद्देश्य के लिए जानकारी का उपयोग करने के लिए गोपनीयता उपक्रम निष्पादित करता है;

(च) लागू कानून की आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए प्रकट की जाती है जिसमें संयुक्त उद्यम कंपनी या किसी भी संस्था की स्टॉक एक्सचेंज लिस्टिंग की कोई भी आवश्यकताएं शामिल हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इक्विटी शेयर रखती है;

(छ) पक्षों के किसी भी सलाहकार (कानूनी, वित्तीय, तकनीकी या अन्यथा) को प्रकट की जाती है, बशर्ते कि प्राप्तकर्ता केवल प्रकट किए गए उद्देश्य के लिए जानकारी का उपयोग करने के लिए एक गोपनीयता उपक्रम निष्पादित करता है।

8.4 शेयरधारक अपनी और अपनी संबंधित समूह संस्थाओं की ओर से एक-दूसरे के साथ और अपनी संबंधित समूह संस्थाओं और संयुक्त उद्यम कंपनी के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए अपने सर्वोत्तम प्रयासों का उपयोग करने के लिए सहमत होते हैं कि संयुक्त उद्यम कंपनी के व्यवसाय के संबंध में प्रकट की गई सभी जानकारी और अन्यथा सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है, गोपनीय रखी जाएगी और प्रकट नहीं की जाएगी।

खंड 9

विविध

9.1 सूचनाएं

9.1.1 इस समझौते के तहत दी जाने वाली किसी भी सूचना को लिखित रूप में होने पर और व्यक्तिगत रूप से, फैक्स प्रसारण द्वारा, टेलेक्स द्वारा या कूरियर द्वारा निम्नलिखित पते पर दिए जाने पर विधिवत दी गई मानी जाएगी:

(क) यदि एएआई और/या एएआई नामनिर्दिष्टों को: भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली - 110 003।

□□□□□□□□□□ : □□□□□□□□
□□□□□ □□: +91-011-24641088

(ख) यदि संयुक्त उद्यम कंपनी को: दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लिमिटेड आईजीआई एयरपोर्ट, दिल्ली।

□□□□□□□□□□: □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□
□□□□□ □□: +91-11-23766352

(ग) यदि निजी प्रतिभागियों को:

1. **जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड** स्किप हाउस, 25/1, संग्रहालय रोड, बैंगलोर – 560 025, कर्नाटक, भारत।

   □□□□□□□□□□: □□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□ |
   □□□□□ □□: +91 80 2227 3620

2. **जीएमआर एनर्जी लिमिटेड** स्किप हाउस, 25/1, संग्रहालय रोड, बैंगलोर – 560 025, कर्नाटक, भारत।

   □□□□□□□□□□: □□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□□□□ |
   □□□□□ □□: +91 80 2227 3633

3. **जीवीएल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड** स्किप हाउस, 25/1, संग्रहालय रोड, बैंगलोर – 560 025, कर्नाटक, भारत।

   □□□□□□□□□□: □□□□ □□.□□.□□. □□□□ |
   □□□□□ □□: +91 80 2299 8118

4. □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□
   □□□□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□ □□□□, □□□□□□□□□ 664C,
   □□□□□□□□□□ □□□, 60547 □□□□□□□□□□□ □□ □□□, □□□□□□□ □□
   □□□□□ □□□□□□□□□

   □□□□□□□□□□: □□□□ □□□□□□□ □□□□ |
   □□□□□ □□: +49 69 690 59866

5. **मलेशिया एयरपोर्ट्स (मॉरीशस) प्राइवेट लिमिटेड** के मार्फत मलेशिया एयरपोर्ट (नियागा) एसडीएन. बीएचडी., एमएबी का मुख्य कार्यालय, सुल्तान अब्दुल अजीज शाह एयरपोर्ट, सुबांग, 47200 सेलांगोर दारुल एहसान, मलेशिया।

   □□□□□□□□□□: □□□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□ |
   □□□□□ □□: +603 7846 4177

6. □□□□□□ □□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□□
   □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□,
   17, □□□□□□□□ □□□□□□, □□□□□□ □□□□□, □□ □□□□ □□□, □□□□
   □□□, □□□□□ – 400 020, □□□□□
   □□□□□□□□□□: □□□□ □□□□ □□□□□□□ |
   □□□□□ □□: +91-22–2202 0798

9.1.2 कोई भी पक्ष इसमें ऊपर दिए गए माध्यम से अन्य पक्षों को लिखित सूचना देकर इस समझौते के उद्देश्य से ऊपर प्रदान किए गए अपने पते को बदल सकता है।

9.2 अपरिहार्य घटना

9.2.1 इस समझौते में इसके विपरीत निहित किसी भी बात के बावजूद, पक्षों के बीच एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि इस समझौते के तहत किसी भी पक्ष को अपरिहार्य घटना के लिए या उसके कारण कोई राहत नहीं दी जाएगी।

9.3 दायित्वों का विशिष्ट निष्पादन

9.3.1 इस समझौते के पक्षकार सहमत होते हैं कि, लागू कानून के तहत अनुमत सीमा तक, इस समझौते के तहत पक्षों के अधिकार और दायित्व विशिष्ट निष्पादन के अधिकार के अध्यधीन होंगे और एक व्यतिक्रमी पक्ष के खिलाफ विशेष रूप से लागू किए जा सकते हैं। पक्ष स्वीकार करते हैं कि इस समझौते के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन से प्रतिकूल रूप से प्रभावित पक्ष ("**प्रभावित पक्ष**") को तत्काल अपूरणीय क्षति होगी, जिसके लिए दण्ड में देय कोई भी मुआवजा पर्याप्त उपाय नहीं होगा। तदनुसार, पक्ष सहमत होते हैं कि प्रभावित पक्ष किसी अन्य पक्ष द्वारा किसी भी ऐसे उल्लंघन या धमकी वाले उल्लंघन की स्थिति में सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत से तत्काल और स्थायी निषेधाज्ञा राहत, विशिष्ट निष्पादन या किसी अन्य न्यायसंगत राहत का हकदार होगा। पक्ष सहमत होते हैं और शर्त रखते हैं कि प्रभावित पक्ष (i) वास्तविक नुकसान साबित करने की आवश्यकता; या (ii) बॉन्ड या अन्य सुरक्षा पोस्ट किए बिना ऐसी निषेधाज्ञा राहत, विशिष्ट निष्पादन या अन्य न्यायसंगत राहत का हकदार होगा। इसमें निहित कुछ भी कानून में या इक्विटी में उपचार के लिए प्रभावित पक्ष के अधिकार को सीमित नहीं करेगा, जिसमें व्यतिक्रमी पक्ष से दण्ड की वसूली बिना किसी सीमा के शामिल है।

9.4 शासी कानून और क्षेत्राधिकार की सहमति; मध्यस्थता

9.4.1 यह समझौता और इसके अर्थ के सभी प्रश्नों की व्याख्या भारत गणराज्य के कानूनों के अनुसार की जाएगी।

9.4.2 पक्ष सहमत होते हैं कि वे सद्भाव परामर्श के माध्यम से इस समझौते के संबंध में उत्पन्न होने वाले विवादों को सुलझाने का प्रयास करेंगे, और ऐसा परामर्श एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ऐसे परामर्श के लिए लिखित अनुरोध देने के तुरंत बाद शुरू होगा। बशर्ते कि यदि ऐसे सद्भाव परामर्शों के परिणामस्वरूप ऐसे परामर्श शुरू होने के साठ (60) दिनों के भीतर विवाद का समाधान नहीं होता है, तो खंड 9.4.3 के प्रावधान लागू होंगे।

9.4.3 मध्यस्थता

9.4.3.1 कोई भी विवाद, जिसे पक्षों द्वारा सौहार्दपूर्ण समाधान (जैसा कि ऊपर खंड 9.4.2 के तहत प्रदान किया गया है) द्वारा हल नहीं किया जा सका, अंततः भारतीय मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के अनुसार मध्यस्थता द्वारा सुलझाया जाएगा। मध्यस्थता के लिए विवाद को संदर्भित करने के इरादे का नोटिस एक पक्ष या पक्षों के समूह ("**दावेदार**") द्वारा दूसरे पक्ष या पक्षों के समूह ("**प्रतिवादी**") को दिया जा सकता है।

9.4.3.2 विवाद तीन (3) मध्यस्थों वाले एक अधिकरण को संदर्भित किए जाएंगे। मध्यस्थता के प्रतिवादी और दावेदार को एक-एक मध्यस्थ नियुक्त करने का अधिकार होगा और इस प्रकार नियुक्त दो मध्यस्थ तीसरे मध्यस्थ को चुनेंगे जो अधिकरण के पीठासीन मध्यस्थ के रूप में कार्य करेगा (एक साथ मिलकर "**मध्यस्थता अधिकरण**" का गठन करेंगे)। प्रतिवादी और/या दावेदार द्वारा अपने मध्यस्थ (मध्यस्थों) को नियुक्त करने में विफलता की स्थिति में या प्रतिवादी और दावेदार द्वारा क्रमशः नियुक्त दो मध्यस्थों द्वारा तीसरे मध्यस्थ की नियुक्ति करने में विफलता की स्थिति में, उक्त मध्यस्थ (मध्यस्थों) की नियुक्ति दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा की जाएगी।

9.4.3.3 ऐसी मध्यस्थता, जब तक कि पक्षों द्वारा अन्यथा सहमत न हो, नई दिल्ली, भारत में आयोजित की जाएगी। ऐसी मध्यस्थता की सभी कार्यवाहियां अंग्रेजी भाषा में होंगी।

9.4.3.4 मध्यस्थता अधिकरण का निर्णय पक्षों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

9.4.3.5 इस खंड 9.4 के अधीन, दिल्ली की अदालतों का इस समझौते पर क्षेत्राधिकार होगा।

9.5 संपूर्ण समझौता

9.5.1 यह समझौता, सभी अनुलग्नकों, अनुसूचियों, प्रदर्शों और इसके संलग्नकों के साथ, इस समझौते की विषय-वस्तु के संबंध में पक्षों के बीच संपूर्ण समझौते और समझ का प्रतिनिधित्व करता है और किसी भी पूर्व समझौते या समझ, लिखित या मौखिक, को प्रतिस्थापित करता है जो पक्षों के बीच रही हो सकती है।

9.6 संशोधन

9.6.1 इस समझौते के किसी भी प्रावधान का कोई भी संशोधन, बदलाव या छूट तब और केवल तभी प्रभावी होगी जब वह लिखित रूप में हो और प्रत्येक पक्ष के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा व्यक्तिगत रूप से या उनके द्वारा हस्ताक्षरित हो।

9.7 पृथक्करणीयता

9.7.1 यदि इस समझौते या इसके साथ संलग्न या इसका हिस्सा बनाए गए किसी भी समझौते या दस्तावेज का कोई अनुच्छेद, खंड, धारा या पैराग्राफ, या उसका भाग अमान्य है, किसी सक्षम क्षेत्राधिकार की अदालत द्वारा अवैध घोषित किया गया है, या वर्तमान या भविष्य के लागू कानूनों के तहत अप्रवर्तनीय है, तो पक्षों की यह मंशा है कि समझौते का शेष भाग, या इसके साथ संलग्न या इसका भाग बनाया गया कोई भी समझौता या दस्तावेज, उससे प्रभावित नहीं होगा, जब तक कि ऐसे प्रावधान को हटाने से यह समझौता किसी भी पक्ष के लिए तात्विक रूप से प्रतिकूल न हो जाए, जिस स्थिति में पक्ष समझौते में सद्भावपूर्वक ऐसे बदलावों के लिए बातचीत करेंगे जो ऐसे प्रावधान के तहत लाभों और दायित्वों को पक्षों के लिए सबसे अच्छी तरह से संरक्षित करेंगे।

9.8 प्रतिलेख

9.8.1 यह समझौता दो या अधिक प्रतिलेखों में निष्पादित किया जा सकता है, और समान या विभिन्न प्रतिलेखों पर प्रत्येक पक्ष द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, लेकिन ऐसे सभी प्रतिलेख मिलकर एक ही दस्तावेज का गठन करेंगे।

9.9 छूट

9.9.1 किसी पक्ष द्वारा इस समझौते के उल्लंघन या किसी अन्य पक्ष द्वारा व्यतिक्रम के संबंध में कोई कार्रवाई करने में विफलता से पूर्ववर्ती पक्ष के इस समझौते के किसी भी प्रावधान को लागू करने के अधिकार या ऐसे उल्लंघन या व्यतिक्रम या किसी बाद के उल्लंघन या व्यतिक्रम के संबंध में कार्रवाई करने के अधिकार की छूट का गठन नहीं होगा। किसी भी पक्ष द्वारा किसी पक्ष द्वारा इस समझौते के किसी प्रावधान का उल्लंघन या अनुपालन करने में विफलता की छूट को ऐसे प्रावधान की निरंतर छूट के रूप में, या इस समझौते के किसी अन्य प्रावधान के किसी अन्य उल्लंघन या अनुपालन करने में विफलता की छूट के रूप में नहीं समझा जाएगा।

9.10 कोई एजेंसी नहीं

9.10.1 यह समझौता किसी भी पक्ष को दूसरे पक्ष के कानूनी प्रतिनिधि या प्रतिनिधि के रूप में गठित नहीं करेगा, न ही किसी पक्ष के पास किसी अन्य पक्ष के खिलाफ, उसके नाम पर या उसकी ओर से व्यक्त या निहित किसी भी देनदारी या दायित्व को ग्रहण करने, बनाने या उठाने का अधिकार या अधिकार होगा।

9.11 कोई तृतीय-पक्ष लाभार्थी नहीं

9.11.1 इस समझौते में व्यक्त या उल्लिखित कुछ भी यहाँ के पक्षों (और उनके संबंधित उत्तराधिकारियों और अनुमत असाइनियों) के अलावा किसी भी संस्था को इस समझौते या इसमें निहित किसी भी प्रावधान के संबंध में कोई कानूनी या न्यायसंगत अधिकार, उपाय या दावा देने के लिए अभिप्रेत नहीं है या नहीं समझा जाएगा।

9.12 एक-दूसरे के और संयुक्त उद्यम कंपनी के संबंध में पक्षों की स्वतंत्रता

9.12.1 पक्ष स्वतंत्र हैं और बने रहेंगे। पक्षों या उनकी किसी भी समूह संस्था में से किसी को भी एक-दूसरे का एजेंट नहीं माना जाएगा, न ही उनके पास एक-दूसरे के लिए या संयुक्त उद्यम कंपनी की ओर से कोई अनुबंध या कोई दायित्व दर्ज करने, या कोई वारंटी या प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होगा।

9.13 स्वतंत्र संबंध

9.13.1 एक ओर प्रत्येक पक्ष और/या ऐसे पक्ष की किसी भी प्रासंगिक समूह संस्था, और दूसरी ओर संयुक्त उद्यम कंपनी के बीच सभी संबंध स्वतंत्र और प्रतिस्पर्धी शर्तों पर संचालित किए जाएंगे।

9.14 व्यय

9.14.1 पक्षों में से प्रत्येक अपने संबंधित वकील, लेखाकारों और विशेषज्ञों की फीस और खर्चों और इस समझौते की बातचीत, तैयारी, निष्पादन और सुपुर्दगी के लिए उसके द्वारा किए गए अन्य सभी लागतों और खर्चों को वहन करेगा।

9.15 एएआई प्रवर्तक नहीं

9.15.1 शेयरधारकों के लाभ और इस समझौते तथा ओएमडीए के संचालन को गति देने के लिए, एएआई ने कंपनी रजिस्ट्रार के पास "**दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड**"

नाम ब्लॉक कर दिया है और पंजीकृत संयुक्त उद्यम कंपनी के संरचना का ढांचा प्राप्त कर लिया है। पक्ष एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से सहमत होते हैं और स्वीकार करते हैं कि केवल एएआई के ऐसे कार्य या उसकी शेयरधारिता से, न तो एएआई और न ही एएआई नामनिर्दिष्टों में से किसी को भी, किसी भी बिंदु पर, किसी भी कारण से, संयुक्त उद्यम कंपनी का प्रवर्तक नहीं माना जाएगा। यदि किसी भी बिंदु पर, एएआई और/या एएआई नामनिर्दिष्टों में से किसी को लागू कानून के तहत संयुक्त उद्यम कंपनी का प्रवर्तक माना जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप एएआई और/या उसके नामनिर्दिष्ट (नामनिर्दिष्टों) को कुछ नुकसान, व्यय, लागत या देनदारी होती है, तो निजी प्रतिभागी एएआई और/या उसके नामनिर्दिष्ट (नामनिर्दिष्टों) को नुकसान से बचाएंगे और पूर्ण रूप से क्षतिपूर्ति करेंगे।

9.16 भार साधन

9.16.1 इस समझौते में इसके विपरीत निहित किसी भी बात के बावजूद, पक्षों के बीच एतद्द्वारा स्पष्ट रूप से सहमति व्यक्त की जाती है कि निजी प्रतिभागियों के पास ओएमडीए के प्रावधानों के अनुसार संयुक्त उद्यम कंपनी के उपयोग के लिए ऋण जुटाने के लिए उधारदाताओं के पक्ष में संयुक्त उद्यम कंपनी में अपनी शेयरधारिता पर भार लगाने का अधिकार होगा, लेकिन दायित्व नहीं होगा।

9.17 परिणामी हानि

9.17.1 इस समझौते में इसके विपरीत निहित किसी भी बात के बावजूद, किसी भी स्थिति में कोई भी पक्ष, उसके अधिकारी, कर्मचारी या प्रतिनिधि किसी भी परिणामी हानि के संबंध में इस समझौते से उत्पन्न या उससे जुड़े किसी भी मामले के लिए किसी भी अन्य पक्ष के प्रति (अनुबंध, क्षतिपूर्ति, वारंटी या अपकृत्य (लापरवाही और सख्त या पूर्ण देयता या वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन सहित) या अन्यथा आधार पर) उत्तरदायी नहीं होंगे। प्रत्येक पक्ष ऐसी परिणामी हानि के संबंध में किसी भी अन्य पक्ष, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों और एजेंटों पर मुकदमा न चलाने का वचन देता है।

इस प्रावधान के प्रयोजनों के लिए, "**परिणामी हानि**" का अर्थ ऐसे उल्लंघन के परिणामस्वरूप होने वाली कोई भी अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि (उत्पादन या सुरक्षा का नुकसान, लाभ का नुकसान, राजस्व का नुकसान, अनुबंध का नुकसान, ख्याति का नुकसान, अन्य समझौतों के तहत देनदारी, या तीसरे पक्षों के लिए देनदारी सहित) है, और चाहे उल्लंघन करने वाला पक्ष जानता था या उसे पता होना चाहिए था कि ऐसे उल्लंघन के

परिणामस्वरूप ऐसी अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि होने की संभावना है, और इसमें समय-समय पर पीड़ित पक्ष के उधारदाताओं या लेनदारों को किसी भी राशि का भुगतान या पुनर्भुगतान (या उसका कोई त्वरण) शामिल है, लेकिन देय पक्ष, उसके अधिकारियों, कर्मचारियों या एजेंटों की लापरवाही के परिणामस्वरूप होने वाली मृत्यु या व्यक्तिगत चोट को शामिल नहीं करता है।

जिसके साक्ष्य स्वरूप पक्षों ने उपर्युक्त लिखी तिथि एवं वर्ष को अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं:

पक्षकार	साक्षी द्वारा:
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की ओर से और के लिए: हस्ताक्षरित: _____	साक्षी द्वारा:
दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लिमिटेड की ओर से और के लिए: हस्ताक्षरित: _____	साक्षी द्वारा:
जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की ओर से और के लिए: हस्ताक्षरित: _____	साक्षी द्वारा:

पक्षकार	साक्षी द्वारा:
जीएमआर एनर्जी लिमिटेड की ओर से और के लिए:	साक्षी

पक्षकार	साक्षी द्वारा:
□□□□□□□□□□□□: _____	द्वारा:
जीवीएल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से और के लिए: □□□□□□□□□□□□: _____	साक्षी द्वारा:
फ्रैपोर्ट एजी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज वर्ल्डवाइड की ओर से और के लिए: (1) □□□□□□□□□□□□: _____ (2) हस्ताक्षरित: _____	साक्षी द्वारा:
मलेशिया एयरपोर्ट्स (मॉरीशस) प्राइवेट लिमिटेड की ओर से और के लिए: हस्ताक्षरित: _____	साक्षी द्वारा:
इंडिया डेवलपमेंट फंड की ओर से और के लिए *(आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की एक यूनिट योजना, जो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत गठित एक ट्रस्ट है, तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वेंचर कैपिटल फंड) विनियम, 1996 के तहत पंजीकृत एक वेंचर कैपिटल फंड है, जिसकी ट्रस्टी आईडीबीआई ट्रस्टी कंपनी है, जो अपने निवेश प्रबंधक आईडीएफसी प्राइवेट इक्विटी के माध्यम से कार्य कर रही है)*: हस्ताक्षरित: _____	साक्षी द्वारा:
पक्षकार	साक्षी द्वारा:
कंपनी लिमिटेड:	

पक्षकार	साक्षी द्वारा:
हस्ताक्षरित: _____	

अनुसूची 1

निजी प्रतिभागी

क्र. सं.	निजी प्रतिभागी
(1)	**जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड**
(2)	**जीएमआर एनर्जी लिमिटेड**
(3)	**जीवीएल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड**
(4)	**फ्रैपोर्ट एजी फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट सर्विसेज वर्ल्डवाइड**
(5)	**मलेशिया एयरपोर्ट्स (मॉरीशस) प्राइवेट लिमिटेड**
(6)	**इंडिया डेवलपमेंट फंड** आईडीएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की एक यूनिट योजना, जो भारतीय ट्रस्ट अधिनियम, 1882 के तहत गठित एक ट्रस्ट है, तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (वेंचर कैपिटल फंड) विनियम, 1996 के तहत पंजीकृत एक वेंचर कैपिटल फंड है, जिसकी ट्रस्टी आईडीबीआई ट्रस्टी कंपनी है, जो अपने निवेश प्रबंधक आईडीएफसी प्राइवेट इक्विटी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से कार्य कर रही है।

अनुसूची 2

इक्विटी शेयरों का उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने के व्यापक सिद्धांत

यदि इक्विटी शेयरों के उचित बाजार मूल्य का निर्धारण करने की आवश्यकता होती है, तो इस अनुसूची में निर्धारित प्रक्रियाओं और दृष्टिकोण को लागू किया जाएगा:

1. यदि संयुक्त उद्यम कंपनी उस समय एक सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध कंपनी है, तो उचित बाजार मूल्य पिछले बारह (12) सप्ताह की अवधि में शेयरों के दैनिक व्यापार मूल्य का भारित औसत होगा, जिसमें भार इक्विटी शेयरों के दैनिक कारोबार का मूल्य होगा।
2. यदि संयुक्त उद्यम कंपनी सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध नहीं है, तो:

(i) इक्विटी शेयरों के उचित बाजार मूल्य का अर्थ अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वतंत्र चार्टर्ड अकाउंटेंट की फर्म (जिसे "**मूल्यांकनकर्ता**" कहा जाएगा) द्वारा एक इच्छुक विक्रेता और एक इच्छुक खरीदार के बीच लेनदेन के आधार पर और भारतीय जीएएपी के अनुसार निर्धारित इक्विटी शेयरों का मूल्य होगा।

परंतु शर्त यह है कि यदि एएआई व्यतिक्रमी पक्ष नहीं है, तो ऐसा मूल्य निर्धारित करने में, मूल्यांकनकर्ता:

(क) लीज डीड के तहत संयुक्त उद्यम कंपनी को प्रदान की गई भूमि का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई भी मूल्य नहीं जोड़ेगा और न ही उसे ध्यान में रखेगा।

(ख) संयुक्त उद्यम कंपनी को दी गई राज्य सहायता से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े किसी भी मूल्य को बाहर रखेगा।

परंतु यदि एएआई व्यतिक्रमी पक्ष है, तो मूल्यांकनकर्ता इक्विटी शेयरों के उचित बाजार मूल्य का निर्धारण करते समय उपर्युक्त मूल्य को शामिल करेगा।

(ii) इस समझौते के नियमों के तहत जहाँ आवश्यक हो, इक्विटी शेयरों के उचित बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए संबंधित पक्ष से अनुरोध प्राप्त होने पर, बोर्ड मूल्यांकनकर्ता का चयन करेगा और मूल्यांकनकर्ता को उपर्युक्त पैराग्राफ 1 के अनुसार उचित बाजार मूल्य निर्धारित करने का निर्देश देगा।

(iii) संयुक्त उद्यम कंपनी मूल्यांकनकर्ता की नियुक्ति के सात (7) दिनों की अवधि के भीतर ऐसे निर्धारण के लिए आवश्यक जानकारी प्रदान करेगी।

(iv) मूल्यांकनकर्ता उसके बाद बीस (20) दिनों की अवधि के भीतर उचित बाजार मूल्य निर्धारित करेगा और अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंपेगा, जिसकी प्रतियां सभी पक्षों को दी जाएंगी।

(v) ऐसे निर्धारण के लिए किया गया खर्च, जिसमें मूल्यांकनकर्ता की फीस शामिल है, विक्रेता और/या खरीदार द्वारा वहन किया जाएगा, जैसा कि बोर्ड द्वारा उचित रूप से निर्धारित किया जाए।

अनुसूची 3

आरक्षित बोर्ड संबंधी मामले

1. संयुक्त उद्यम कंपनी के व्यवसाय में कोई भी परिवर्तन (किसी भी प्रकार के व्यवसाय को बंद करना शामिल है);
2. शेयरों के किसी भी वर्ग या वर्गों के अधिकारों में परिवर्तन (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से);
3. इसके व्यवसाय, उपक्रम या परिसंपत्तियों के पूर्ण या एक बड़े हिस्से की बिक्री, अंतरण, पट्टा, लाइसेंस या निपटान, चाहे वह एक ही लेनदेन द्वारा हो या लेनदेन की श्रृंखला द्वारा, संबंधित हो या न हो; परंतु यह खंड वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ बेचे जा रहे, स्थानांतरित, पट्टे पर दिए जा रहे, लाइसेंस प्राप्त या निपटाए जा रहे व्यवसाय,

उपक्रम और/या परिसंपत्तियों का कुल मूल्य बारह (12) महीनों की किसी भी अवधि में संयुक्त उद्यम कंपनी की शुद्ध अचल संपत्ति के दस (10) प्रतिशत से कम हो;

4. संयुक्त उद्यम कंपनी के समापन या विघटन के लिए कोई भी कार्रवाई शुरू करना, जिसमें संयुक्त उद्यम कंपनी को परिसमाप्त करने का संकल्प पारित करना शामिल है।

अनुसूची 4

आरक्षित शेयरधारक मामले

1. संयुक्त उद्यम कंपनी के व्यवसाय में कोई भी परिवर्तन (किसी भी प्रकार के व्यवसाय को बंद करना शामिल है);
2. शेयरों के किसी भी वर्ग या वर्गों के अधिकारों में परिवर्तन (प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से);
3. इसके व्यवसाय, उपक्रम या परिसंपत्तियों के पूर्ण या एक बड़े भाग की बिक्री, अंतरण, पट्टा, लाइसेंस या निपटान, चाहे वह एक ही लेनदेन द्वारा हो या लेनदेन की श्रृंखला द्वारा, संबंधित हो या न हो; परंतु यह खंड वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ बेचे जा रहे, स्थानांतरित, पट्टे पर दिए जा रहे, लाइसेंस प्राप्त या निपटाए जा रहे व्यवसाय, उपक्रम और/या परिसंपत्तियों का कुल मूल्य 12 महीनों की किसी भी अवधि में संयुक्त उद्यम कंपनी की शुद्ध अचल संपत्ति के दस (10) प्रतिशत से कम हो;

4. संयुक्त उद्यम कंपनी के समापन या विघटन के लिए कोई भी कार्रवाई शुरू करना, जिसमें संयुक्त उद्यम कंपनी को परिसमाप्त करने का संकल्प पारित करना शामिल है;
5. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत मतदान करने वाले शेयरधारकों के कम से कम तीन-चौथाई (75%) की सहमति की आवश्यकता वाला कोई भी शेयरधारक संकल्प (विशेष संकल्प)

अनुलग्नक 1

अनुलग्नक 1

अनुपालन विलेख

यह अनुपालन विलेख ("विलेख") आज दिनांक [•] को [अंतरिती कंपनी का नाम और विवरण यहाँ दर्ज करें] द्वारा निष्पादित किया जाता है, जो [•] के कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी/निगमित निकाय है, जिसका पंजीकृत कार्यालय/व्यवसाय का मुख्य स्थान [•] में है (जिसे "**अंतरिती**" कहा गया है)।

जबकि:

क. एएआई, [निजी प्रतिभागियों के नाम यहाँ दर्ज करें] और संयुक्त उद्यम कंपनी के बीच दिनांक [•], 2006 के शेयरधारक समझौते ("शेयरधारक समझौता") द्वारा, शेयरधारक संयुक्त उद्यम कंपनी के शेयरधारकों के रूप में अपने अधिकारों और देनदारियों के पारस्परिक वितरण/विनियमन पर सहमत हुए।

ख. शेयरधारक समझौते की धारा 3.6.1 (ख) के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, किसी शेयरधारक ("मूल कंपनी") द्वारा किसी तीसरे पक्ष को इक्विटी पूंजी में शेयरों के अंतरण के साथ-साथ, ऐसा तीसरा पक्ष, ऐसे शेयरों के अंतरण की पूर्व-शर्त के रूप में इस विलेख को निष्पादित करेगा और शेयरधारक समझौते से बाध्य होगा।

अब यह विलेख निम्नलिखित की पुष्टि करता है:

1. परिभाषाएं और व्याख्या

इस विलेख में प्रयुक्त लेकिन अपरिभाषित बड़े अक्षरों वाले शब्दों के वही अर्थ होंगे जो शेयरधारक समझौते में उन्हें दिए गए हैं, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो।

2. वचनबद्धता

2.1 अंतरिती एतद्द्वारा स्वीकार करता है कि उसे शेयरधारक समझौते और अन्य परियोजना समझौतों की एक प्रति प्राप्त हुई है, और उसने उन्हें पढ़ और समझ लिया है, और वचन देता है, सहमत होता है और पुष्टि करता है कि वह शेयरधारक समझौते के सभी प्रावधानों से इस प्रकार बाध्य होगा मानो वह उसका मूल पक्ष था, जिसमें उसमें निहित हस्तांतरणकर्ता पक्ष के अधिकार और दायित्व शामिल हैं, और शेयरधारक समझौता उस पर पूर्ण लागू होगा और उस पर बाध्यकारी माना जाएगा।

3. शासी कानून

यह विलेख भारत के कानूनों के अनुसार शासित और व्याख्यायित होगा। मध्यस्थता और अन्य नियमों व शर्तों से संबंधित प्रावधानों के संबंध में शेयरधारक समझौते के नियम और शर्तें इस विलेख में शामिल मानी जाएंगी।

हस्ताक्षरित:

द्वारा: _____

नाम:

पद शीर्षक:

साक्षी/गवाह:

नाम: .....